सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

जे–8–ए, ई.एम.आई. परिसर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर : 0141–2701174

वेबसाइट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	A प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)	1–28
A 1.	प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.) प्रस्तावना	3
A 2.	वर्ष 2020–21 की प्रगति एक दृष्टि में	3–4
A 3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में प्रवेश क्षमता का विवरण (सत्र 2020–21)	4
A 4.	दस्तकार प्रशिक्षण योजना :	5–17
A 5.	Upgradation of 1396 Government ITI's through PPP mode:	17–18
A 6.	शिक्षुता प्रशिक्षण:	18–19
A 7.	Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes into Model ITI :	20
A 8.	Strengthening for Industrial Value Enhancement Project (STRIVE)	20–21
A 9.	9 राजस्थान में संभागवार/जिलेवार स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं :: वर्ष 2020–21	21–22
A10.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश क्षमता वर्ष 2020–2021	23–28
	B रोजगार विभाग, राजस्थान	29–44
B 1.	रोजगार सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	31
B 2.	रोजगार सेवा की कार्यप्रणाली का आधार	31–32
B 3.	रोजगार सेवा के आधारभूत कार्य	32
B 4.	रोजगार विंग का प्रशासनिक ढांचा	33
B 5.	रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य	34
B 6.	उप क्षेत्रीय एवं जिला रोजगार कार्यालय के कार्य	34

B 7.	उप रोजगार कार्यालय	35
B 8.	रोजगार विंग द्वारा सपादित कार्यों का विवरण	35
B 9.	स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास कार्यालय	36
B10.	रोजगार विंग की योजना, मॉडल कैरियर सेन्टर	36–37
B11.	व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ	37
B12.	रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन	37
B13.	रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम	38–39
B14.	राजस्थान रोजगार संदेश(पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन	39
B15.	रोजगार विंग का कम्प्यूटरीकरण	40
B16.	बजट की स्थिति	40–42
B17.	रोजगार सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की स्थिति	43
B18.	पदों की स्थिति	44
C राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम		45–69
C 1.	प्रस्तावना	47
C 2.	नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति	48–49
C 3.	निगम के उद्देश्य	50
C 4.	योजनाए	51–57
C 5.	कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र	57–58
C 6.	निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2020 तक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का विवरण निम्न है	58–59
C 7.	आरएसएलडीसी को देश का सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य पुरस्कार	59
C 8.	कौशल राजस्थान लक्ष्य हेतु प्रमुख अभिनव योजनाएं/कार्य	59–69

A

प्राविधिक शिक्षा
(प्रशिक्षण)
(आई.टी.आई.)

A1. प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

प्रस्तावना

राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास व संचालन हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक डी–6320/एफ. 3(487)शिक्षा/ग्रुप–2/56 दिनांक 17 अगस्त 1956 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। निदेशालय में निदेशक (शिक्षा) (पॉलीटेक्नीक हेतु) व निदेशक (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई. हेतु) कार्यरत है।

राज्य सरकार की अधिसूचना 30(4)श.नि/15 दिनांक 04.08.2015 के अनुसार राजस्थान में युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों /अभियानों /मिशनों/अधिनियमों व नियमों का क्रियान्वयन, नियोजन विभाग, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के पैरा संख्या 143 में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन में, आदेश संख्या 107/2015 दिनांक 23 मई, 2015 द्वारा राज्य मंत्रीमण्डल ने कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिये "Department of Skills, Employment and Entrepreneruship"(कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) के गठन करने का अनुमोदन किया है।

नवगठित "कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" के अन्तर्गत आई.टी.आई. का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप दस्तकार प्रशिक्षण से छात्रों को प्रशिक्षित कर तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना है एवम् शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत् राजकीय व निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छात्रों को अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कराना है।

A2. वर्ष 2020–21 की प्रगति एक दृष्टि में

दस्तकार प्रशिक्षण योजनाः–

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

भौतिक उपलब्धियाँ

1. वर्तमान में राज्य की 295 पंचायत समितियों में राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हो चुके है।
2. राज्य में दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020–21 में कुल 260 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। इन 260 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत व्यवसायों की कुल प्रवेश क्षमता 91620 है। उक्त संस्थानों में 11 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत है, जिनमें से 10 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, बासंवाड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) है। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत 01 महिला औ.प्र.संस्थान, टोंक हेतु व्यवसाय प्रारम्भ करने की भी प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात भवन निर्माण पूर्णता की ओर है।
3. इसके अतिरिक्त 1715 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 302730 है। राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 51 इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 42 नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय सहित कुल 93 विभिन्न व्यवसाय स्वीकृत है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों एवं व्यवसायों का विवरण **परिशिष्ठ–I , II** पर उपलब्ध हैं।

4. नये स्वीकृत 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रारम्भ करने कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके अर्न्तगत क्रमशः जिला अलवर (2)– बहरोड, कोटकासिम, जिला बांसवाड़ा (1)– गंगरतलाई, जिला बाड़मेर (6)– धनाऊ, गडरारोड, गिडा, कल्याणपुर, पाटोदी, सेडवा, जिला दौसा (1)– महवा जिला धौलपुर (1)– सरमथुरा जिला डूंगरपुर (1)– सबला, जिला जालोर (1)– आहोर जिला झालावाड़ (1)– मनोहरथाना जिला जोधपुर (4)– बापिणी, देचू, सेखाला, तिवरी जिला कोटा (1)– कारागृह कोटा जिला नागौर (2)– मकराना शहर, मौलासर जिला प्रतापगढ़ (1)– छोटी सादडी जिला राजसमन्द (3)–कुम्भलगढ़, रेलमगरा, देवगढ जिला टोंक (1)– महिला टोंक जिला उदयपुर (5)– फलासिया, गोगुन्दा, झालरा, सेमारी, सायरा का कार्य प्रगति पर है।
5. युवाओ का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने हेतु 33 जिलो में एक–2 ब्रांड एम्बेसेडर का चयन किया गया।

6. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्ववित्त पोषित योजना (एस.एफ.एस) अन्तर्गत संचालित यूनिटों को नियमित योजना में परिवर्तित कर प्रशिक्षण आंरभ कर दिया गया।
7. राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक एवं सुदढ बनाने के लिए निजी जनसहभागिता के द्वारा विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों/प्रतिष्ठानों से एम.ओ.यू. किये गयें।

8. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Upgradation of existing government industrial training Institutes into Model ITI के अन्तर्गत राज्य की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है । जिसमें केन्द्र व राज्य का हिस्सा 70 व 30 प्रतिशत रहेगा।

A3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता का विवरण (सत्र 2020–21)

पाठ्यक्रम	राजकीय संस्थाऐं		निजी संस्थाएं		योग	
	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता
आई. टी. आई.	260*	91620	1715	302730	1975	394350

* वर्तमान में 229 राजकीय संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष 31 स्थानों पर नये आई.टी.आई. खोलने हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

A4 दस्तकार प्रशिक्षण योजना :

A4.1 वित्तीय प्रबन्धन :

वर्ष 2020–21में दस्तकार (औद्योगिक) प्रशिक्षण योजना में वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क–कार्यकलापों का वर्गीकरण	(राशि सहस्त्रों रूपयों में)					
बजट मद	आय व्ययक अनुमान 2020–2021			दिनांक 31.12.2020 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या 23						
2230–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03– प्रशिक्षण, 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–(08)शिल्प प्रशिक्षण योजना, (01) शिल्प प्रशिक्षण योजना प्रतिबद्ध	1208001	0	1208001	785079	0	785079
प्रभृत	1	0	1	0	0	0
2230–03–102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण, 01–शिक्षुओं का प्रशिक्षण, (01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रतिबद्ध	44410	0	44410	31669	0	31669
मांग संख्या 30						
2230–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03– प्रशिक्षण, 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (08)–शिल्प प्रशिक्षण योजना, (01) शिल्प प्रशिक्षण योजना प्रतिबद्ध	49422	0	49422	32437	0	32437
योग	1301834	0	1301834	849185	0	849185
मांग संख्या 23						
2230–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03– प्रशिक्षण,	176455	0	176455	158740	0	158740

003–शिल्पकारो तथा पर्यवेक्षको का प्रशिक्षण–(01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना						
(05)–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र मे आइटीआई	43285	0	43285	39894	0	39894
(06)–मॉडल आई टी आई की स्थापना	1500	3500	5000	0	0	0
(07) पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	21248	0	21248	15333	0	15333
101–03–वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)	28186	0	28186	18833	0	18833
101–04–स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट)	0	10000	10000	0	0	0
102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण						
02–शिक्षुओं का प्रशिक्षण (01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रतिबद्ध	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 30						
796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना	4347	0	4347	3358	0	3358
(05)– जनजाति क्षेत्रों में युवकों के लिये पाठयक्रम (जनजाति कल्याण निधि),	0	0	0	0	0	0
मांग संख्या 51 2230–03–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना, (01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना	13306	0	13306	12324	0	12324
मांग संख्या 23 4250– अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203– रोजगार, (04)–प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र एवं उपकरण,	58080	0	58080	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–203–07–वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट (01)–18– मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–10–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई टी आई (01)–18– मशीनरी	10000	0	10000	0	0	0

और साजसामान / औजार एवं संयंत्र						
मांग संख्या 23 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–12–मॉडल आई टी आई की स्थापना (01)–18– मशीनरी और साजसामान / औजार एवं संयंत्र	0	1	1	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–14–पर्यटन प्रशिक्षण उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना (01)–18– मशीनरी और साजसामान / औजार एवं संयंत्र	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–15–स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट) (01)–कौशल संवर्धन, 17–वृहद निर्माण कार्य	0	20000	20000	0	0	0
मांग संख्या 23 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–15–स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट) (01)–कौशल संवर्धन, 18– मशीनरी और साजसामान / औजार एवं संयंत्र	0	69998	69998	0	32780	32780
मांग संख्या 30 4250–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (01)–प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र और उपकरण, 18– मशीनरी और साजसामान / औजार एवं संयंत्र	35000	0	35000	0	0	0
मांग संख्या 30 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (02)–नवीन आई टी आई के भवन निर्माण, (90)–निर्माण कार्य 17–वृहद निर्माण कार्य	105000	0	105000	90446	0	90446
मांग संख्या 19 4250– अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–रोजगार, (02)–प्रशिक्षण, (90)–निर्माण कार्य 17– वृहद निर्माण कार्य	528520	0	528520	468254	0	468254
मांग संख्या 19 4250–203–08–वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट–(90)–17–वृहद निर्माण कार्य (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)	4	0	4	0	0	0

मांग संख्या 19 4250–203–09–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आइटीआई के भवन निर्माण –(90)–निर्माण कार्य, 17–वृहद निर्माण कार्य	30000	0	30000	28265	0	28265
मांग संख्या 19 4250–203–11–मॉडल आई टी आई की स्थापना–(90)–निर्माण कार्य, 17–वृहद निर्माण कार्य	0	1	1	0	0	0
मांग संख्या 19 4250–203–13–पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना–(90)–निर्माण कार्य, 17–वृहद निर्माण कार्य	1	0	1	0	0	0
मांग संख्या 51 4250–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना, (01)– प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र और उपकरण, 18–मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	55000	0	55000	115	0	115
मांग संख्या 51 4250–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना, (02)–नवीन आई टी आई के भवन निर्माण, (90)–निर्माण कार्य 17– वृहद निर्माण कार्य	160000	0	160000	72038	0	72038
मांग संख्या 33 4225–03–अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण,800–अन्य व्यय(03)–देवनारायण योजना(तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से(01)–नए आइ टी आई केंद्रों का भवन निर्माण, 17–वृहद निर्माण कार्य	1	0	1	0	0	0
महायोग	1269936	103500	1373436	907600	32780	940380

A4.2 स्वीकृत पद

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की प्रशिक्षण शाखा में (अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक) स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र स	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	क्र स	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	निदेशक, प्रशिक्षण	01	24	सहायक प्रोग्रामर	01
2	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	02	25	सूचना सहायक	01
3	उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एवं उपनिदेशक प्रशिक्षण / उपनिदेशक प्रशिक्षण	14	26	वाहन चालक	03
4	सहायक निदेशक प्रशि0 / आचार्य औ0प्र0सं0 / प्रबंधक, उ0 केन्द्र	72	27	अतिरिक्त निजी सचिव	01
5	उपाचार्य / अधीक्षक औ0प्र0सं0	219	28	निजी सहायक	01
6	वित्तीय सलाहकार	01	29	शीघ्र लिपिक	09
7	लेखाधिकारी	02	30	संस्थापन अधिकारी	1
8	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	01	31	प्रशासनिक अधिकारी	05
9	वरिष्ठ विधि अधिकारी	02	32	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	25
10	प्रोग्रामर	01	33	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	78
11	समूह अनुदेशक / सर्वेयर / सहायक शिक्षुता सलाहकार	273	34	वरिष्ठ सहायक	223
12	वरिष्ठ अनुदेशक	215	35	कनिष्ठ सहायक	381
13	कनिष्ठ अनुदेशक (व्यवसाय) नियमित *	2071	36	मशीन मैन	02
14	का0ग0एवं वि0 / इंजी0 ड्राईंग अनुदेशक	491	37	दफ्तरी	03
15	लीव रिजर्व	07	38	जमादार	13
16	स्टोर अनुदेशक	02	39	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	652
17	एम्प्लोयबिलिटी स्किल्स अनु0	180	40	कार्यशाला परिचारक	110
18	आई.टी.लैब अनुदेशक	254	41	संग्रह अनुचर	02

19	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	11	42	अटेन्डेण्ट स्केल नं0 1	23
20	कनिष्ठ लेखाकार	43	43	चौकीदार	12
21	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	44	सफाई कर्मी	06
22	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	04	45	मल्टी टास्क सर्विस	14
23	संगणक	02			
		योग			5435

	संविदा पद	
1	कार्यशाला गणना एवं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग अनुदेशक(संविदा)	95
2	अंशकालीन व्याख्याता (संविदा)	02
3	कम्प्युटर ऑपरेटर (संविदा)	06
4	कम्पयूटर ऑपरेटर विद मशीन	02
5	प्रोजेक्ट को–ओर्डिनेटर (सीईटीटी)(संविदा)	01
6	मशीन विद मैन (संविदा) (सीईटीटी प्रोजेक्ट)	01
7	बागवानी सेवाए(संविदा) (सीईटीटी प्रोजेक्ट)	01
8	अंशकालीन स्वीपर (संविदा)	01
	योग	109
	Grant Total	5544

राजपत्रित एवं अराजपत्रित रिक्त पदों की स्थिति

निदेशक प्रशिक्षण 01	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण 01	उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एंव उपनिदेशक प्रशिक्षण/ उपनिदेशक प्रशिक्षण टीएडी 01	सहायक निदेशक प्रशि0/ आचार्य औ0प्र0सं0/प्रबंधक, उ0 केन्द्र 17	उपाचार्य/अधीक्षक औ0प्र0सं0 154
वित्तीय सलाहकार 01	लेखाधिकारी 01	वरिष्ठ विधि अधिकारी 01	समूह अनुदेशक/ सर्वेयर /सहायक शिक्षुता सलाहकार 139	वरिष्ठ अनुदेशक 22
कनिष्ठ अनुदेशक (व्यवसाय) नियमित 1638	का0ग0एंव वि0/इंजी0 ड्राईंग अनुदेशक 442	एम्प्लोयबिलिटी स्किल्स अनु0 180	आई.टी.लैब अनुदेशक 254	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II 03
कनिष्ठ लेखाकार 13	कनिष्ठ विधि अधिकारी 01	वाहन चालक 02	अतिरिक्त निजी सचिव 01	शीघ्र लिपिक 05
प्रशासनिक अधिकारी 01	सहायक प्रशासनिक अधिकारी 02	वरिष्ठ सहायक 83	कनिष्ठ सहायक 187	जमादार 05
कार्यशाला परिचारक 64	अटेन्डेण्ट स्केल नं0 1 11	मल्टी टास्क सर्विस (बहुउद्धेश्य कार्यकर्ता) 14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित) 332	चौकीदार 12
सफाई कर्मी 06	संगणक 02			

योगः–3296

रिक्त पद सविदा

कार्यशाला विज्ञान इंजीनियरिंग अनुदेशक 95	गणित एवं ड्राईंग	प्रोजेक्टर को ऑपरेटर 01	अस्थाकालीन व्यवस्थापक 02	कम्प्यूटर ऑपरेटर 02	
योग – 100					
महायोग 3396					

नोट –

1. अनुदेशकों के 402 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 08/2018 के तहत् राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 373 पदों का परिणाम जारी किया जा चुका है। अन्तिम चयनित 338 अभ्यर्थियों में से 229 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 109 पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. कनिष्ठ अनुदेशक एम्प्लॉयबीलिटी स्कील एवं आई.टी. लेब के 385 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना भिजवाई जा चुकी है।
3. नवसृजित 250 पदों सहित अनुदेशकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सेवा नियमों में डीजीटी के मापदण्डानुसार सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4.3 विभागीय चयन समिति की बैठकें :

निदेशक, आरसीवीईटी, वर्ष 2013–14 एवं पारिणमिक रिक्ति संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण वर्ष 2013–14 व पारिणमिक रिक्ति उप निदेशक प्रशिक्षण वर्ष 2014–15 व 2015–16 की डीपीसी के प्रस्ताव विचाराधीन है। सहायक निदेशक प्रशिक्षण की वर्ष 2020–21 की डीपीसी हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।

उपाचार्य/अधीक्षक औ.प्र.संस्थान के पद वर्ष 2020–21 की डी.पी.सी. आयोजित कर पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके है।

अधीनस्थ सेवा में समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार के पदों की वर्ष 2020–21 की डीपीसी हेतु प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाये जा चुके है। मंत्रालयिक सेवा में कनिष्ठ सहायक के अतिरिक्त शेष पदों की वर्ष 2020–21 की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है।

4.4 नियुक्तियां :

वर्ष 2020–21 में (01 अप्रेल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) सीधी भर्ती से कनिष्ठ अनुदेशक पद पर अन्तिम चयनित 338 अभ्यर्थियों में से 229 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत 03 तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार 101 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं 01 अभ्यर्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत च0श्रे0कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।

4.5 स्थानान्तरण :

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सत्र 2020-21 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं प्रशासनिक कारणों से तथा स्वयं की प्रार्थना पर स्वैच्छिक स्थानान्तरण किये गये।

4.6 पेंशन प्रकरणों की स्थिति :

विभाग में वर्ष 2020-21 में दिनांक (01 अप्रेल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020) तक 29 कार्मिक सेवानिवृत्त / स्वैच्छिक सेवानिवृत्त / निधन हुए, इस अवधि में 13 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निस्तारित हुए । शेष प्रकरण में पेंशन विभाग / संस्थान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

4.7 विभागीय जांच :

विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रकरणों के निस्तारण के तहत लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों को निपटाने की कार्यवाही की गई। दिनांक 01 अप्रेल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में सीसीए नियम 16 में 05 कार्मिको को आरोप पत्र जारी किया गया व 01 कार्मिको के सीसीए 16 के प्रकरणों का निस्तारण किया गया । उक्त अवधि में 02 कार्मिकों को निलम्बित किया गया तथा 01 कार्मिक को निलम्बन से पुनः पदस्थापित किया गया ।

4.8 विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षणः–

वर्ष 2020–21 में ऑन लाईन ब्लेडेड ट्रेनिंग के अन्तर्गत 51 अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी किये गये।

4.9 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत :

अप्रेल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक निदेशालय में 405 ऑन लाईन आवेदन–पत्र प्राप्त हुए। इनमें से सभी आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है / अथवा प्रतिलिपि शुल्क की मांग की गई है।

4.10 वरिष्ठता सूची का प्रकाशनः

राजपत्रित सेवा की वर्ष 2020–21 हेतु दिनांक 01.04.2020 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है। अधीनस्थ सेवा के समूह अनुदेशक एवं वरिष्ठ अनुदेशकों की तथा मंत्रालयिक सेवा के पदों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है।

4.11 संसद एवं विधानसभा प्रश्नावली :

विभाग में प्राप्त होने वाले लोकसभा / राज्यसभा एवं विधानसभा से संबंधित तारांकित / अतारांकित प्रश्नों के प्रत्युत्तर राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर भिजवाये गये।

4.12 सम्पर्क पोर्टल :

सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से माह अप्रेल 2020 से दिसम्बर, 2020 तक 383 प्रार्थना पत्र / परिवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 321 का निस्तारण किया जा चुका हैं। शेष निस्तारण हेतु प्रकियाधीन है

4.13 परीक्षा अनुभाग:

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(5)त.शि./2000 जयपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा राज्य में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का गठन किया गया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(5)त.शि./2000 पार्ट, जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2020 द्वारा राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का पुनर्गठन किया गया।

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर एवं रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 239/जोधपुर/9–10/दिनांक 08.01.2010 के द्वारा दिया गया है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित कार्यो के अनुसार राजकीय/प्राईवेट औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन का दायित्व सम्भाल रही है।

2. स्वीकृत– कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण–

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	निदेशक	01	00	01
2	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	01	01	—
3	उपनिदेशक	01	01	—
4	सहायक निदेशक	01	01	—
5	प्रोग्रामर	01	01	—
6	सूचना सहायक	06	06	—
7	वरिष्ठ सहायक	01	01	—
8	क0 लेखाकार	01	01	—
9	समूह अनुदेशक	01	01	—
	कुल	14	13	01

संविदा पर कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण–

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	02	—
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	02	—
	कुल	04	04	—

3. विभागीय प्रमुख कार्य एवं आलौच्य वर्ष में प्रगति –

प्रमुख कार्य:–

RCVET द्वारा निम्न 04 परीक्षाऐं विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष मे दो बार आयोजित करवाई जाती है–

1. एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (AITT)
2. Dual System of Training परीक्षा (DST)
3. एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा (SCVT)
4. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिजम ट्रेनिंग परीक्षा (CETT)

DGT नई दिल्ली के निर्देशानुसार अगस्त 2018 से आई.टी.आई. में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षाएं वार्षिक पद्वति के तहत आयोजित की जा रही है। वर्ष 2018 से पूर्व के प्रशिक्षणार्थीयों की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली अनुसार आयोजित की जा रही है।

एन.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं हेतु ट्रेड थ्यौरी, वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड सांइस व एम्पालोएबिलिटी स्किल की परीक्षाएं ऑनलाईन (Computer Based Test) होगी जिनकी समस्त व्यवस्थाएं DGT नई दिल्ली द्वारा की जायेगी। DGT नई दिल्ली द्वारा ऑनलाईन परीक्षाओं की पृथक से निर्धारित परीक्षा शुल्क Portal के माध्यम से जमा करवायी जावेगी। तथा इंजीनियरिंग ड्राईंग एवं प्रायोगिक परीक्षाए ऑफलाईन होती है व इनके पेपर बनवाने तथा मूल्यांकन का कार्य RCVET स्तर पर किया जाता है। एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होता है।

एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राज्य स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र RCVET द्वारा प्रदत्त होता है।

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् निम्नलिखित वित्तीय स्त्रोतों से आय अर्जित करती है।

1. परीक्षा शुल्कः रूपये 200/– प्रति प्रशिक्षणार्थी NCVT हेतु।
2. परीक्षा शुल्कः रूपये 400/– प्रति प्रशिक्षणार्थी SCVT, CETT हेतु।
3. प्रमाण–पत्र सत्यापन शुल्क : 100/–
4. इंजीनियरिंग ड्राईंग की उत्तर पुस्तिका Scan Copy का शुल्क : 250/–

आलौच्य वर्ष में प्रगति –

1. आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, नवम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक एवं इजीनियरिंग परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं हेतु राज्य में कुल 1529 परीक्षा केन्द्र बनाए गये। नवम्बर 2020 एनसीवीटी परीक्षा में कुल 220000 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।
2. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) भारत सरकार के निर्देशानुसार नवम्बर, 2020 एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षाओं के प्रायोगिक परीक्षा एवं इंजीनियरिंग ड्राईंग प्रश्न पत्रों को आरसीवीईटी स्तर पर तैयार कराए गये। एससीवीटी एवं सीईटीटी पाठ्यक्रमों की दिसम्बर, 2020 की परीक्षाओं हेतु सभी विषयों के परीक्षा प्रश्न पत्र आरसीवीईटी स्तर पर तैयार कराये गये है। इस सत्र हेतु विभिन्न योजननाओं के कुल 125 परीक्षा प्रश्न पत्र आरसीवीईटी स्तर पर बनवाए गये।
3. एनसीवीटी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु राज्य में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय " जिला परीक्षा संचालन समितियों" का गठन कराया गया। प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षकों की व्यवस्था हेतु आईटीआई तकनीकी स्टाफ के साथ–साथ राज्य के विभिन्न तकनीकी विभागों यथा Energy, RSRTC, PWD तथा PHED के तकनीकी कार्मिकों का भी सहयोग लिया गया।

4. आरसीवीईटी द्वारा दिसम्बर 2020 की एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिजम ट्रेनिंग परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं हेतु राज्य में कुल 89 परीक्षा केन्द्र बनाए गये। दिसम्बर 2020 की एससीवीटी परीक्षा में 2337 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।

विगत 03 वर्षों के परीक्षा परीणाम का तुल्नात्मक विवरण –

NCVT Exam Result statistics of Three Years					
S.No.	Year	Exam-Year	Appear	Pass	%age
1	2017	Jan 2017	60059	28243	47.03
2		July 2017	127136	46784	36.8
3	Total		187195	75027	40.08
4	2018	Jan 2018	57507	29375	51.08
5		July 2018	114209	52883	46.3
6	Total		171716	82258	47.9
7	2019	Jan 2019	39622	23734	59.9
8		July 2019	121598	61922	50.92
9	Total		161220	85656	53.13

SCVT Exam Result statistics of Three Years					
S.No.	Year	Exam-Year	Appear	Pass	%age
1	2017	Jan 2017	253	159	62.85
2		July 2017	935	660	70.59
3	Total		1188	819	68.94
4	2018	Jan 2018	314	211	67.2
5		July 2018	1696	854	50.35
6	Total		2010	1065	52.99
7	2019	Jan 2019	235	164	69.79
8		July 2019	1124	822	73.13
9	Total		1359	986	72.55

4. विशेष पहल एवं उपलब्धि –

आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, नवम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराने के उद्धेश्य से परीक्षार्थियों की की स्वयं की SSO ID / ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से शुल्क जमा कराने की व्यवस्था की गई।

आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, नवम्बर 2020 की एनसीवीटी परीक्षा, डयूल सिस्टम परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक एवं इजीनियरिंग परीक्षाओं तथा दिसम्बर 2020 की एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर ट्यूरिजम ट्रेनिंग परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की समस्त परीक्षाओ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

5. सार–संक्षेप –

RCVET द्वारा एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (AITT), Dual System of Training परीक्षा (DST), एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा (SCVT), सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फोर टयूरिज्म ट्रेनिंग परीक्षा (CETT) वर्ष मे दो बार आयोजित की जाती है।

एन.सी.वी.टी. की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओ हेतु डी.जी.टी. द्वारा ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साइंस व एप्लाईएबिलिटी स्किल की परीक्षाए ऑनलाईन (Computer Based Test) आयोजित होती तथा इंजीनियरिंग ड्राईंग एव प्रायोगिक परीक्षाए RCVET स्तर से ऑफलाईन आयोजित होती है। इनके प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते है। एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियो को प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होता है।

RCVET द्वारा एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राज्य स्तर की परीक्षाए आयोजित होती है। इन परीक्षाओ हेतु प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते है। सफल प्रशिक्षणार्थियो को प्रमाण–पत्र RCVET द्वारा प्रदत्त होता है।

A 5. Upgradation of 1396 Government ITI's through PPP mode:

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक राज्य की 105 राजकीय औ. प्र. संस्थानों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Upgradation of 1396 Government ITI's through Public Private Partnership" के अन्तर्गत क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान मे प्रतिष्ठित उद्योग संघों से सम्बद्धता प्राप्त उद्योगपति की अध्यक्षता मे संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) का गठन कर इन का पंजीकरण सोसायटी के रुप मे किया गया है। योजनान्तर्गत क्रमोन्नत औ. प्र. संस्थानों को डी.जी.टी. भारत सरकार के माध्यम से 2.50 करोड रूपये प्रति संस्थान को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में आई.एम.सी. के बचत खाते मे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस राशि से आई.एम.सी के प्रयास से संस्थानों में प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जा रही है। अर्थात संस्थानों में संचालित व्यवसाय/एककों को क्रमोन्नत (upgrade) के साथ–साथ संस्थानों में नवीन व्यवसाय/एक कों के संसाधन विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत क्रमोन्नत कुल 105 राजकीय औ.प्र.संस्थानों में सुपरन्यूरेरीस्थानों पर अधिकतम प्रवेश का 20 प्रतिशत प्रवेश संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) द्वारा किये जा रहें हैं .इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

क्र. सं.	प्रायोजित अभ्यार्थीयों के प्रवेश हेतु बिन्दुवार विवरण	
	English version	हिन्दी अनुवाद
A	Since, this scheme is for overall upgradation of ITI, therefore 20% admission to be determined by IMC, may cover all trades.	चुकी यह योजना औ.प्र. संस्थान को पूर्ण रूपेण अपग्रेड करती है। अतः संस्थान के समस्त व्यवसाय/एककों मे आई.एम.सी. द्वारा 20 प्रतिशत प्रवेश किये जासकेगें।
B	Candidates sponsored (whose fees will be paid by industry or candidate) from industry having industry experience of 2 years with requisite educational qualification, will be given first priority.	प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों (जिनका प्रशिक्षण शुल्क अभ्यार्थी स्वयं के द्वारा अथवा संबधित उद्योगो के द्वारा दिया जायेगा) एव जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा जिन्हे दो वर्ष का औद्योगिक अनुभव प्राप्त हों, को प्रवेश मे प्राथमिकता प्रदान की

		जायेगी।
C	**IMC seats will be filled before the general admissions in ITI.**	आई.एम.सी. स्थान पर प्रवेश औ.प्र. संस्थानों में सामान्य प्रवेश से पूर्व किये जायेंगें।
D	Reservation guidelines as per State Govt. provisions are to be followed. IMC seats will be filled with horizontal reservation. 20% seat will be reserved for IMC in each category i.e., Gen/SC/ST/OBC. This comes out to be one seat in each category.	आरक्षण संबंधी निर्देश राज्य सरकार के प्रावधानानुसार समान रूप से मान्य होंगे। 20 प्रतिशत आई.एम.सी. स्थानों पर आरक्षण प्रत्येक वर्ग हेतु क्षेतिज रूप में रहेगा, अर्थात सामा./अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.। यह न्यूनतम एक स्थान प्रत्येक वर्ग हेतु रहेंगा।
E	If the number of industry sponsored candidates are more than the IMC seats, admissions will be given on the basis of merit list. (Based on educational qualification).	आई.एम.सी. स्थानों के लिए उद्योगों द्वारा प्रायोजित अधिक अभ्यार्थियों के आवेदन–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता की मैरिट के आधार पर कियेजायेगें।
F	The fees for IMC seats will be decided by the IMC of the ITI before the admissions.	आई.एम.सी. स्थानों का प्रशिक्षण शुल्क भी आई.एम.सी. के द्वारा प्रवेश से पूर्व निर्धारित किया जायेगा।
G	If industry sponsored candidates are not available, candidates from respective merit list of ITI for admission, on the respective date will be offered these seats.with the fees decided by IMC.	यदि उद्योगों द्वारा प्रायोजित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होता हो तो इन स्थानो पर IMC द्वारा निर्धारित फीस के आधार पर सामान्य वरियता सूची से प्रवेश कार्यक्रम की निर्धारित तिथियों को प्रवेश किये जायेंगे।

A 6. शिक्षुता प्रशिक्षण:

A 6.1 शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जाता है। यह अधिनियम 30 एवं अधिक कार्मिक नियुक्त करने वाले केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनके माध्यम से एक वर्ष से चार वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। निदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा–राज्य शिक्षुता सलाहकार, एवं संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, जयपुर–संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार., समस्त उपनिदेशक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय–उप राज्य शिक्षुता सलाहकार तथा जिला स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/अधीक्षक, सहायक शिक्षुता सलाहकार के रूप में कमशः राज्य/सम्भाग/जिला स्तर पर शिक्षुता प्रशिक्षण की गतिविधियों की मॉनीटरिंग करते हैं।

शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षुओं को न्यूनतम वृत्तिका का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाता है जिसकी दरें निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम वृत्तिका की निर्धारित रकम
(i)	स्कूल पास आऊट (कक्षा 5वीं से 9वीं)	5000 प्रति माह
(ii)	स्कूल पास आऊट (कक्षा 10वीं)	6000 प्रति माह
(iii)	स्कूल पास आऊट (कक्षा 12वीं)	7000 प्रति माह
(iv)	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण–पत्र धारक	7000 प्रति माह
(v)	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाण–पत्र धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	7000 प्रति माह
(vi)	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	8000 प्रति माह
(vii)	किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु	9000 प्रति माह

भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों व शिक्षुओं के पंजीकरण सहित शिक्षुओं के नियोजन की कार्यवाही वेब–पोर्टल (www.apprenticeship.org) के माध्यम से ऑन–लाईन की गई है।

नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लागू की है जिसके अन्तर्गत नियोजकों की ओर से शिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली वृत्तिका राशि का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1500/– प्रति शिक्षु प्रति माह) तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता को रू. 7500/– प्रति शिक्षु (500 घण्टे/3 माह के लिये) का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

A 6.2 **शिक्षुता प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 31.10.2020 तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां**

राज्य में स्थित प्रतिष्ठानों को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रतिष्ठान का ऑनलाइन पंजीकरण एवं शिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु भारत सरकार के वेब–पोर्टल के माध्यम से सतत् कार्यवाही जारी है। अक्टूबर 2020 तक की प्रगति इस प्रकार है:–

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धियां
1.	वेब–पोर्टल पर पंजीकृत हुए प्रतिष्ठानों की संख्या	2514
2.	वेब–पोर्टल पर पंजीकृत हुए प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण स्थानों की संख्या	16656
3.	वेब–पोर्टल के माध्यम से उद्योगों/प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत शिक्षुओं की संख्या	4884

A 6.3 डिग्री, डिप्लोमा उत्तीर्ण, अभ्यार्थियों को अप्रेन्टिसशिप योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में नियोजित करने हेतु BOAT (Board of Apprenticeship Training) कानपुर का एक उप–कार्यालय संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार कार्यालय, जयपुर परिसर में खोला गया है तथा वर्तमान में एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किया गया है।

A.7 Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes into Model ITI :

देश मे वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की एक राजकीय औ. प्र. संस्थान, उदयपुर को Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes (ITIs) in to Model it is के अन्तर्गत मॉडल आई.टी.आई. के रूप मे क्रमोन्नत किया जा रहा है इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल Project Cost राशि रू. 05.00 करोड निर्धारित की गई है, जिस मे क्रमशः केन्द्र एवं राज्यांश यथा 70 एवं 30 प्रतिशत है।डी.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा योजना संचालन हेतु जारी गाईड–लाईन अनुसार निम्न कार्यवाही की जा चुकी है।

1. योजनान्तर्गत औ. प्र. संस्थान, उदयपुर को आई.एम.सी. ऑफआई.टी.आई. उदयपुर का गठन किया जा कर इसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कराया गया है।
2. योजना संचालन हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उद्योग–सहभागी के मध्य एक त्रिपक्षीय एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया जा कर केन्द्र सरकार द्वारा राशि रू. **175+140=315** लाख आवंटन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।राशि आवंटित की जाकर संस्थान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।
3. मॉडल आई.टी.आई. की स्थापना के संबध में दो नये व्यवसायों क्रमशः मैकेनिक डीजल एवं ऑटो बॉडी पेन्टिंग में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है।
4. राज्य सरकार द्वारा योजना संचालन हेतु गाईड–लाईन का अनुमोदन कर नयेव्यवसायों के आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही की जा चुकी है।

A.8 Strengthening for Industrial Value Enhancement Project (STRIVE)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र सरकार के "Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE)" Project का Operations Manual (OM) दिनांक 03 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया इस प्रोजेक्ट की अवधि नवम्बर, 2022 तक है।

इस प्रोजेक्ट के मुख्य Objectives का विवरण निम्नानुसार है :–

1- Improving the relevance and efficiency of skills training provided through ITIs an apprenticeship. STRIVE is five years project implemented by the ministry of skill development and Entrepreneurship (MSDE) through state Government, Industrial Training Institutes (ITIs) centrally funded Institute (CFI) and Industry Cluster (IC) the closing date of strive is November 2022 .

2- STRIVE is central sector scheme (CSS) with no state contribution and a budget outlay of INR for all India level.

The project has following result area:-

- राज्य के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट में पूर्ण सहभागिता निभाई जा रही है।इस प्रोजेक्ट को राज्य में संचालन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य MoU / Performance Based Funding Agreement (PBFA)निष्पादित किया जा चुका है।
- केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट STRIVE को राज्य की औ. प्र. संस्थानों में संचालित करने हेतु नवीन बजट मद खोला जा चुका है।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत कुल 34 राजकीय औ. प्र. संस्थानों के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।इन समस्त 34 संस्थानों में योजना प्रावधानुसार आई.एम.सी. का गठन किया जा चुका है। राज्य परिचालन समिति द्वारा 34 संस्थानों में से 26 संस्थानों को योजनान्तर्गत चयन किये जाने की अभिशंषा की जा कर केन्द्र सरकर को

भिजवाई जा चुकी है। केन्द्र सरकार इन 26 राजकीय संस्थानों में से केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम 14 संस्थानों को योजनान्तर्गत चयन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अंतिम चयन उपरान्त इनमें प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

- केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल राशि रू. 627.80 लाख जारी की जा चुकी जिसे योजना अनुसार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (आर.सी.वी.ई.टी.) के नाम से खोले गये विशेष बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

A.9 राजस्थान में संभागवार/जिलेवार स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं :: वर्ष 2020–21

क्र. स.	संभाग		जिले का नाम	राजकीय औ.प्र. सस्थान		निजी औ.प्र.सस्थान		योग (राजकीय एवं निजी औ.प्र.सस्थान)	
				औ.प्र.स. की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता	औ.प्र.स. की संख्या	प्रवेश क्षमता	कुल औ.प्र.स. की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता
1	अजमेर	1	अजमेर	9	3448	52	8900	61	12348
		2	भीलवाड़ा	13	4344	31	6220	44	10564
		3	नागौर	7	2336	92	16592	99	18928
		4	टोंक	3	968	49	8808	52	9776
			योग	**32**	**11096**	**224**	**40520**	**256**	**51616**
2	बीकानेर	5	बीकानेर	9	3204	24	4296	33	7500
		6	चूरू	3	1144	49	9012	52	10156
		7	श्रीगंगानगर	6	2340	34	5464	40	7804
		8	हनुमानगढ	3	1368	41	7120	44	8488
			योग	**21**	**8056**	**148**	**25892**	**169**	**33948**
3	भरतपुर	9	भरतपुर	7	1988	97	15568	104	17556
		10	धौलपुर	5	1632	40	5108	45	6740
		11	करौली	3	952	42	9500	45	10452
		12	सवाई माधोपुर	5	1496	32	7140	37	8636
			योग	**20**	**6068**	**211**	**37316**	**231**	**43384**
4	जयपुर	13	अलवर	16	4968	119	21788	135	26756

		14	दौसा	5	1600	113	24320	118	25920
		15	जयपुर	14	5112	296	50872	310	55984
		16	झुंझनू	5	1696	94	19050	99	20746
		17	सीकर	5	1672	149	23964	154	25636
			योग	**45**	**15048**	**771**	**139994**	**816**	**155042**
5	जोधपुर	18	बाड़मेर	16	6280	23	3592	39	9872
		19	जैसलमेर	3	1272	3	564	6	1836
		20	जालोर	7	2544	4	808	11	3352
		21	जोधपुर	18	6196	47	7916	65	14112
		22	पाली	7	2512	12	2160	19	4672
		23	सिरोही	5	1896	4	888	9	2784
			योग	**56**	**20700**	**93**	**15928**	**149**	**36628**
6	कोटा	24	बारां	6	2128	40	5044	46	7172
		25	बूंदी	4	1396	42	6244	46	7640
		26	झालावाड़	8	2264	37	4116	45	6380
		27	कोटा	9	3156	89	15444	98	18600
			योग	**27**	**8944**	**208**	**30848**	**235**	**39792**
7	उदयपुर	28	बांसवाड़ा	11	4144	6	1460	17	5604
		29	चित्तौड़गढ़	9	3064	24	5484	33	8548
		30	डूंगरपुर	10	3784	6	884	16	4668
		31	प्रतापगढ़	5	1736	3	448	8	2184
		32	राजसमन्द	6	2280	8	1000	14	3280
		33	उदयपुर	18	6700	13	2956	31	9656
			योग	**59**	**21708**	**60**	**12232**	**119**	**33940**
			महायोग	**260**	**91620**	**1715**	**302730**	**1975**	**394350**

A.10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश क्षमता वर्ष 2020–2021

क्र. स.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Carpenter	24	576	0	0	16	384	0	0	40	960	0	0	40	960
2	Domestic Painter	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
3	Forger And Heat treater	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
4	Foundryman	4	80	0	0	2	40	0	0	6	120	0	0	6	120
5	Interior Decoration and Designing	10	240	3	72	14	336	0	0	24	576	3	72	27	648
6	Marine Engine Fitter	0	0	3	60	0	0	0	0	0	0	3	60	3	60
7	Mason (Building Constructor)	0	0	0	0	1	24	0	0	1	24	0	0	1	24
8	Mechanic (Tractor)	16	320	0	0	14	280	0	0	30	600	0	0	30	600
9	Mechanic Auto Body Painting	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
10	Mechanic Auto Body Repair	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
11	Mechanic Auto Electrical and Electronics	2	40	4	80	6	120	0	0	8	160	4	80	12	240
12	Mechanic Diesel	157	3768	777	18648	218	5232	0	0	375	9000	777	18648	1152	27648
13	Mechanic Two and Three	0	0	3	60	4	80	0	0	4	80	3	60	7	140

	Wheeler														
14	Plastic Processing Operator	4	80	3	60	6	120	0	0	10	200	3	60	13	260
15	Plumber	70	1680	92	2208	51	1224	0	0	121	2904	92	2208	213	5112
16	Pump Operator Cum Mechanic	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
17	Sheet Metal Worker	4	80	0	0	6	120	0	0	10	200	0	0	10	200
18	Stone Mining Machine Operator	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48
19	Stone Processing Machine Operator	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48
20	Welder	185	3700	60	1200	163	3260	0	0	348	6960	60	1200	408	8160
21	Welder (Fabrication & Fitting)	0	0	0	0	20	400	0	0	20	400	0	0	20	400
22	Welder (Pipe)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
23	Welder (Structural)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
24	Welder (Welding & Inspection)	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
	Engineering One Year Total	**482**	**10700**	**945**	**22388**	**945**	**12124**	**0**	**0**	**1027**	**22824**	**945**	**22388**	**1972**	**0**
1	Architectural Draughtsman	4	96	3	72	8	192	0	0	12	288	3	72	15	360
2	Attendant Operator (Chemical Plant)	2	48	4	96	4	96	0	0	6	144	4	96	10	240
3	Draughtsman (Civil)	22	528	31	744	38	912	0	0	60	1440	31	744	91	2184
4	Draughtsman (Mechanical)	8	192	8	192	2	48	0	0	10	240	8	192	18	432
5	Electrician	322	6440	11095	221900	309	6180	0	0	631	12620	11095	221900	11726	234520
6	Electronics Mechanic	110	2640	63	1512	82	1968	0	0	192	4608	63	1512	255	6120

7	Electroplater	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
8	Fitter	269	5380	1285	25700	206	4120	0	0	475	9500	1285	25700	1760	35200
9	Information Communication Technology System Maintenance	30	720	16	384	51	1224	0	0	81	1944	16	384	97	2328
10	Information Technology	4	96	0	0	4	96	0	0	8	192	0	0	8	192
11	Instrument Mechanic	6	144	2	48	6	144	0	0	12	288	2	48	14	336
12	Instrument Mechanic (Chemical Plant)	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
13	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	2	40	2	40	0	0	0	0	2	40	2	40	4	80
14	Lift and Escalator Mechanic	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
15	Machinist	13	260	0	0	20	400	0	0	33	660	0	0	33	660
16	Mechanic (Motor Vehicle)	48	1152	12	288	76	1824	0	0	124	2976	12	288	136	3264
17	Mechanic Agriculture Machinery	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
18	Mechanic Air-conditioning Plant	0	0	0	0	16	320	0	0	16	320	0	0	16	320
19	Mechanic Consumer Electronics Appliances	0	0	3	72	0	0	0	0	0	0	3	72	3	72
20	Painter General	2	40	0	0	6	120	0	0	8	160	0	0	8	160
21	Pattern Maker	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
22	Refrigeration & Air Conditioning Technician	78	1872	48	1152	154	3696	0	0	232	5568	48	1152	280	6720
23	Surveyor	4	96	10	240	0	0	0	0	4	96	10	240	14	336

24	Technician Power Electronics System	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
25	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2	48	0	0	2	48	0	0	4	96	0	0	4	96
26	Turner	48	960	0	0	26	520	0	0	74	1480	0	0	74	1480
27	Wireman	109	2180	236	4720	152	3040	0	0	261	5220	236	4720	497	9940
	Engineering Two Year Total	**1085**	**22972**	**12820**	**257208**	**1174**	**25220**	**0**	**0**	**2259**	**48192**	**12820**	**257208**	**15079**	**0**
1	Baker and Confectioner	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
2	Book Binder	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
3	Commercial Art	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
4	Computer Aided Embroidery And Designing	0	0	1	20	2	40	0	0	2	40	1	20	3	60
5	Computer Hardware & Network Maintenance	8	192	6	144	4	96	0	0	12	288	6	144	18	432
6	Computer Operator and Programming Assistant	181	4344	226	5424	252	6048	0	0	433	10392	226	5424	659	15816
7	Cosmetology	22	528	19	456	62	1488	0	0	84	2016	19	456	103	2472
8	Dress Making	12	240	12	240	6	120	0	0	18	360	12	240	30	600
9	Early Childhood Educator	0	0	40	960	6	144	0	0	6	144	40	960	46	1104
10	Fashion Design & Technology	10	200	9	180	54	1080	0	0	64	1280	9	180	73	1460
11	Finance Executive	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
12	Fire Technology and Industrial Safety Management	0	0	221	5304	12	288	0	0	12	288	221	5304	233	5592

13	Food & Beverages Services Assistant	6	120	5	100	8	160	0	0	14	280	5	100	19	380
14	Food Production (General)	6	144	5	120	4	96	0	0	10	240	5	120	15	360
15	Footwear maker	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
16	Front Office Assistant	8	192	7	168	4	96	0	0	12	288	7	168	19	456
17	Fruit and Vegetable Processor	6	144	0	0	6	144	0	0	12	288	0	0	12	288
18	Health Safety & Environment	0	0	44	1056	0	0	0	0	0	0	44	1056	44	1056
19	Health Sanitary Inspector	0	0	278	6672	4	96	0	0	4	96	278	6672	282	6768
20	Horticulture	0	0	7	168	0	0	0	0	0	0	7	168	7	168
21	Hospital House Keeping	0	0	20	480	0	0	0	0	0	0	20	480	20	480
22	House Keeper	10	240	9	216	0	0	0	0	10	240	9	216	19	456
23	Human Resource Executive	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
24	Leather Goods Maker	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
25	Letter Press Machine Minder	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
26	Marketing Executive	0	0	6	144	0	0	0	0	0	0	6	144	6	144
27	Milk and Milk Product Technician	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
28	Office Assistant cum Computer Operator	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
29	Offset Machine Operator	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80

	Cum Book Binder														
30	Photographer	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
31	Retail Services (CETT)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
32	Secretarial Practice (English)	2	48	0	0	2	48	0	0	4	96	0	0	4	96
33	Sewing Technology	45	900	8	160	36	720	0	0	81	1620	8	160	89	1780
34	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	14	336	1	24	4	96	0	0	18	432	1	24	19	456
35	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	41	984	17	408	7	168	0	0	48	1152	17	408	65	1560
36	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	4	80	1	20	0	0	0	0	4	80	1	20	5	100
37	Tourist Guide	0	0	2	48	4	96	0	0	4	96	2	48	6	144
38	Travel & Tour Assistant	4	96	0	0	2	48	0	0	6	144	0	0	6	144
39	Hair & Skin Care (VI)	0	0	2	26	0	0	0	0	0	0	2	26	2	26
	Non Engineering One Year Total	**383**	**8868**	**954**	**22730**	**501**	**11536**	**0**	**0**	**884**	**20404**	**954**	**22730**	**1838**	**0**
1	Dental Laboratory Equipment Technician	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
	Non Engineering Two Year Total	**0**	**0**	**2**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**48**	**2**	**0**
1	Driver Cum Mechanic	10	200	1	20	0	0	0	0	10	200	1	20	11	220
2	Firemen	0	0	14	336	0	0	0	0	0	0	14	336	14	336
Non Engineering Six Month Total		**10**	**200**	**15**	**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**200**	**15**	**356**	**25**	**0**
Grand Total		**1960**	**42740**	**14736**	**302730**	**2220**	**46880**	**0**	**0**	**4180**	**91620**	**14736**	**302730**	**18916**	**294250**

B

रोजगार विभाग,
राजस्थान

B 1. रोज़गार सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में सेना से मुक्त किये जाने वाले सैन्य कर्मियों तथा युद्ध कार्य में लगे लोगों को नागरिक जीवन में पुनर्नियोजित करने के उद्देश्य से जुलाई,1945 में पुनर्वास तथा रोज़गार महानिदेशालय की स्थापना की गई और धीरे–धीरे देश के कई भागों में इसके कार्यालय खोले गये।

वर्ष 1946 के अंत तक रोज़गार सेवा की सुविधाएं केवल नियोजित सैन्य कर्मियों तथा युद्ध कार्यों से मुक्त किये गये लोगों तक सीमित थी। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप प्रभावित अधिकांश विस्थापित लोगों के पुनर्वास का कार्यभार भी रोज़गार कार्यालयों को सौंपा गया। निरन्तर बढ़ती हुई मांग के कारण इस सेवा के क्षेत्र का क्रमशः विस्तार किया गया और 1948 के आरम्भ में रोज़गार कार्यालयों के द्वार सभी वर्गों के कामगारों के लिए खोल दिये गए।

वर्ष 1952 में श्री बी. शिव राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण तथा रोज़गार सेवा संगठन समिति (शिव राव समिति के नाम से विख्यात) नियुक्त की गई। समिति ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो व्यावसायिक अनुसंधान, व्यावसायिक निर्देशन तथा रोज़गार बाजार सूचना के क्षेत्र में अपने कार्यों की विविधता तथा संगठन के वर्तमान ढांचे के लिए मुख्य आधार बनी। समिति की सिफारिशों के आधार पर 01 नवम्बर, 1956 से संगठन का दैनिक प्रशासन राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। राजस्थान में 01 नवम्बर, 1956 से रोजगार सेवा निदेशालय की स्थापना की गई।

B 2. रोज़गार सेवा की कार्यप्रणाली का आधार

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की समन्वित नीति के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय संचालित होते हैं, इनकी कार्यविधि एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय रोज़गार सेवा संहिता खण्ड–प्रथम एवं द्वितीय में सिद्धान्त निहित हैं।

केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यकारी दल गठित है, जिसमें केन्द्र सरकार के साथ समस्त राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। यह कार्यकारी दल रोज़गार कार्यालयों के कार्य संबंधी नियमों आदि पर समय–समय पर विचार विमर्श करके निर्णय लेता रहता है। इस कार्यकारी दल की वार्षिक बैठक होती है तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा रोज़गार कार्यालय नीति और कार्य–विधि से संबंधित प्रस्तावित या उठाये गये मामलों पर विचार किया जाता है तथा कार्यकारी ग्रुप की भारत सरकार की अनुमोदित सिफारिशों के आधार पर नीतियों एवं कार्य–विधियों में आवश्यक संशोधन, परिवर्धन और विलोपन, रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किये जाते हैं।

राज्य सरकार की अधिसूचना 30 (4) श्र.नि./15 दिनांक 04.08.2015 के अनुसार राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/ अभियानों/मिशनों/अधिनियमों व नियमों का क्रियान्वयन–नियोजन विभाग, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग तथा राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। बजट घोषणा सत्र 2015–16 के पैरा संख्या 143 में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन में आदेश संख्या 107/2015, दिनांक 23.05.2015 के द्वारा राज्य मंत्री मंडल ने कौशल प्रशिक्षण व नियाजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिए "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship (DSEE)", (कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) का गठन करने का अनुमोदन किया।

तदनुसार "कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" की स्थापना हेतु महामहिम राज्यपाल की ओर से एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

B 3. रोजगार सेवा के आधारभूत कार्य

रोज़गार कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य रोज़गार तलाश करने वालों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रूचि के अनुसार रोज़गार तलाश करने में सहायता प्रदान करना एवं नियोजकों को उनकी मांग के अनुरूप उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध कराना है। इसके लिये रोज़गार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार सहायता के इच्छुक बेरोज़गार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर सम्प्रेषण, नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आशार्थियों को रोज़गार कार्यालयों के अन्य माध्यमों से रोज़गार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन साहित्य का सृजन भी किया जाता है। विभाग रोज़गार बाजार सूचना के अन्तर्गत रोज़गार के अवसरों का विश्लेषण एवं विकास के अलावा अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 के प्रवर्तन की कार्यवाही भी करता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में सिविल रिट संख्या 11646–11724/95 के मामले में दिनांक 22.08.96 के निर्णय में निर्देशित किया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय से नाम माँगने के साथ–साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो तथा दूरदर्शन के रोज़गार समाचार बुलेटिनों से प्रचार–प्रसार करा कर भी आवेदन पत्र माँगे जावें। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोज़गार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो, या जो पंजीकृत नहीं हो, वे भी सीधे ही नियोजकों को अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

B 4. रोज़गार विंग का प्रशासनिक ढांचा

आयुक्त / निदेशक

- संयुक्त निदेशक (स्व–रोज़गार)–1 पद
  - उप निदेशक–2 पद
    - सहायक निदेशक–13 पद
      - जिला रोज़गार अधिकारी– 44 पद
        - कनिष्ठ रोज़गार अधिकारी– 19 पद
- लेखाधिकारी–1 पद
  - सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I – 1 पद
    - सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II – 1 पद
      - कनिष्ठ लेखाकार– 4 पद
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर – 1 पद
  - प्रोग्रामर – 1 पद
    - सूचना सहायक– 65 पद

प्रूफ रीडर– 1 पद

सांख्यिकी निरीक्षक –1 पद

संगणक– 1 पद

प्रशासनिक अधिकारी –2 पद

निजी सहायक – 1 पद

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी – 11 पद

सहायक प्रशासनिक अधिकारी – 38 पद

वरिष्ठ कलाकार– 1 पद

कलाकार –1 पद

वरिष्ठ सहायक – 72 पद

कनिष्ठ सहायक – 109 पद

अनुदेशक – 2 पद

वाहन चालक – 8 पद

च0श्रे0क0 – 72 पद

B 5. रोज़गार सेवा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य

- रोजगार कार्यालयो सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन, नियंत्रण एवं समन्वय।
- रोजगार सेवा प्रक्रिया संबंधी कार्य एवं अधीनस्थ रोज़गार कार्यालयों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन
- रोज़गार संबंधी सांख्यिकी, सर्वेक्षण एवं शोध।
- रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 को राज्य में लागू करना तथा रोज़गार बाजार सूचना एकत्रित करना।
- विभागीय अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण।
- राजस्थान रोज़गार संदेश का प्रकाशन।

B 6. उप क्षेत्रीय एवं जिला रोज़गार कार्यालय के कार्य

- जिले के सभी रोज़गार सहायता कार्यक्रमों जैसे– बेरोज़गार आशार्थियों का पंजीयन, सम्प्रेषण, नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं वृत्ति संबंधी परामर्श इत्यादि।
- रोज़गार बाजार की सूचना एकत्रीकरण।
- बेरोज़गार युवकों को स्व–रोज़गार हेतु प्रेरित करने तथा वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाओं संबंधी मार्गदर्शन देना।
- विभिन्न विद्यालयों, कॉलेज, विद्यार्थी समूह को व्यावसायिक मार्गदर्शन देना।
- जिले में स्थापित विभिन्न निजी एवं सरकारी औद्योगिक संस्थान एवं कार्यालयों से समन्वय करना तथा उनसे उनकी मांग एवं योग्यतानुसार आवश्यक कर्मियों की मांग को एकत्रित करना तथा उसके अनुरूप बेरोज़गार आशार्थियों हेतु रोज़गार सहायता शिविर लगाना।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता याजना) का क्रियान्वयन
- रोज़गार कार्यालय की नियोजक पंजिका पर उपलब्ध नियोजकों का निरीक्षण करना एवं नये नियोजकों का अभिज्ञापन करना।
- राजस्थान रोज़गार संदेश का प्रचार–प्रसार एवं जिला स्तर पर वार्षिक सदस्य बनाना।

B 7. उप रोजगार कार्यालय :–

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के आशार्थियों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला बांसवाड़ा मे कुशलगढ एवं डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा में उप रोजगार कार्यालय कार्यरत है। इन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार आदिवासी आशार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोजकों को योग्य आशार्थी उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में तथा चितौड़गढ जिले में रावतभाटा में एक–एक उप रोजगार कार्यालय कार्यरत है। अजमेर जिले की जवाजा, ब्यावर, मसूदा पंचायत समितियों के ग्रामीण आशार्थियों को रोजगार सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर जिले के ब्यावर उपखंड में ग्रामीण रोजगार कार्यालय कार्यरत है।

B 8. रोजगार विंग द्वारा गत 03 वर्षों में सम्पादित किये गये कार्य एवं उपलब्धियाँ

क्र.सं.	विवरण	2018	2019	2020
1	पंजीयन	181254	602136	189940
2	अधिसूचित रिक्तियाँ	1430	3653	404
3	सम्प्रेषण	1008	1080	78
4	नियोजन	0	375	135
5	सजीव पंजीका	689898	1291752	1481709
6	रोजगार सहायता शिविर	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 20–21 दिसंबर तक
		288	224	188

गत 03 वर्षों में विशिष्ठ श्रेणी के आशार्थियों के लिए किये गए कार्यों का विवरण :–

क्र. सं.	श्रेणी	पंजीयन			सजीव पंजीका		
	वर्ष	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	अनुसूचित जाति	37532	94406	30840	135567	229847	260660
2	अनु. जनजाति	16977	79747	21254	65880	145588	166832
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	85092	304497	95061	314354	618733	713946
4	महिलाऐं	56824	270947	87713	187529	458421	546220

B 9. स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास कार्यालय :–

सवैतनिक रोजगार क्षेत्र में घटते अवसरो को दृष्टिगत रखते हुए, बेरोजगार आशार्थियों को स्वरोजगार अपनाने मे सहायता देने एवं विभिन्न स्वरोज़गार योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंक,नाबार्ड, औद्योगिक विकास निगम, अनु. जाति/जनजाति विकास निगम, वित्त निगम, खादी ग्रामोद्योग, शहरी/ग्रामीण निकायों जैसे विभिन्न संस्थान तकनीकी जानकारी, वित्त आदि उपलब्ध कराकर आशार्थियों को स्वनियोजित होने में योगदान कर रहे हैं, तथापि अधिकांश युवाओं को इन संस्थानों की विद्यमानता एवं इनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी नहीं है। अतः यह विभाग विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वरोज़गार के लिये विभिन्न रोज़गार अवसरों की आवश्यक तकनीकी जानकारी, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया और उपकरण, विपणन, स्वरोज़गार योजनाओं के आवेदन पत्रों के प्रारूप आदि जैसी आवश्यक सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर आशार्थियों को लाभान्वित करता है।

स्वरोजगार एवं रोजगार विकास योजनाओं से गत तीन वर्षों में लाभान्वित आशार्थियों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	2018	2019	2020
1	सामूहिक वार्ताओं की संख्या	1668	973	1050
2	सामूहिक वार्ताओं में उपस्थित आशार्थियों की संख्या	100189	43144	45806
3	स्वरोजगार हेतु भरवाये गये आवेदन पत्र	2931	248	290
4	व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने वाले आशार्थी	71620	34134	48950

B 10. रोजगार विंग द्वारा संचालित योजना :–

- **मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना(बेरोजगारी भत्ता योजना)**:–राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार आशार्थियो के सहायतार्थ 01 फरवरी 2019 को प्रारम्भ की गई, इस जनउपयोगी योजना के तहत पात्र पुरुष आशार्थियों को 3000 रूपये प्रतिमाह तथा महिला, ट्रांसजेण्डर एवं विशेष योग्यजन को 3500 रूपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ते (अधिकतम दो वर्ष तक अथवा रोजगार/स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो) का भुगतान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 01 मार्च 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 249433 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ते से लाभान्वित करते हुए कुल 800.44 करोड रूपये बेरोजगारी भत्ता राशि के रूप में वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1 अप्रेल 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक 62912 नवीन स्वीकृतियां जारी करते हुए रूपये 419.12 करोड़ राशि भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है।

- **मॉडल कॅरियर सेंटर्स :–**

भारत सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों के ढांचे को अत्याधुनिक "कॅरियर सेंटर" के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों व भारत सरकार द्वारा 16 मॉडल कॅरियर सेंटर की अनुमति उपरांत राज्य में वर्तमान में बीकानेर, भरतपुर व कोटा में एमसीसी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। शेष जिलों जयपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालौर, बारां, बांसवाड़ा तथा गंगानगर में मॉडल कॅरियर सेंटर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

B 11. व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ:–

रोजगार कार्यालय शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों को उचित व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षणों की जानकारी उपलब्ध कराते है। इस हेतु समय–समय पर रोजगार कार्यालयों द्वारा कॅरियर वार्ताऐं व व्यावसायिक सूचनाओं की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत लाभान्वित आशार्थियों की संख्या

क्र.सं.	विवरण	2018	2019	2020
1	पंजीयन के समय मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	47349	82294	46490
2	व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	68717	46201	32047
3	सामूहिक वार्ताओं की संख्या	1722	1913	1628
4	सामूहिक वार्ताओं में भाग लेने वाले आशार्थियों की संख्या	21043	27189	30033

B 12. रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन :–

विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में माह दिसंबर 2020 तक कुल 188 रोजगार सहायता शिविर (ऑनलाइन) आयोजित किये गये, जिनमें 7104 (सात हजार एक सौ चार) आशार्थियों को रोजगार के अवसरों से लाभान्वित किया गया।

गत 03 वर्षों में आयोजित रोजगार सहायता शिविर :–

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21 दिसंबर तक
कौशल नियोजन एवं उद्यमिता/कैम्पस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन	288	224	188
लाभान्वित	46989	27881	7104

B 13. रोज़गार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम :-

संगठित क्षेत्र की रोजगार स्थिति का अध्ययन करने के लिए रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलो मे विभिन्न रोजगार सूचनाओं का त्रैमासिक अन्तराल पर संकलन किया जाता है।

गत 03 वर्षों में राज्य में नियोजक एवं नियोजित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

क्षेत्र	नियोजक			नियोजन					
				कुल रोजगार			महिला रोजगार		
	2018	2019	2020 (जून)	2018	2019	2020 (जून)	2018	2019	2020 (जून)
(1) सार्वजनिक क्षेत्र									
1. केन्द्र सरकार	422	427	419	108701	108621	107474	5219	5146	5059
2. राज्य सरकार	9360	9480	9653	626540	631076	649575	150813	150822	152904
3. अर्द्धकेन्द्र सरकार	2988	2999	3028	69755	69258	69674	5655	5620	5616
4. अर्द्धराज्य सरकार	1723	1720	1737	90801	89804	90384	8249	8128	8074
5. स्थानीय निकाय	518	520	522	72855	72797	70880	17495	17126	16562
योग	**15011**	**15146**	**15359**	**968652**	**971556**	**987987**	**187431**	**186842**	**188215**
(2)निजी क्षेत्र									
1. अधिनियमान्तर्गत संस्थान	2623	2433	2517	380325	361485	359790	53633	52394	50954
2. अधिनियम भिन्न संस्थान	4008	4046	3962	59191	58833	58508	14782	14405	14001
योग	**6631**	**6479**	**6479**	**439516**	**420318**	**418298**	**68415**	**66799**	**64955**
महायोग	**21642**	**21625**	**21838**	**1408168**	**1391874**	**1406285**	**255846**	**253641**	**253170**

उद्योगानुसार रोज़गार स्थिति का 3 वर्ष का विश्लेषण

क्र. सं.	औद्योगिक संभाग	विवरण	नियोजक			नियोजन					
						कुल रोजगार			महिला रोजगार		
			2018	2019	2020 (जून)	2018	2019	2020 (जून)	2018	2019	2020 (जून)
1	A	कृषि, वन, मछली पालन	266	263	256	17095	16873	16855	1022	1002	1173
2	B	खनन	266	123	129	16802	15365	15347	1342	1145	1200
3	C	विनिर्माण	1867	1857	1871	234026	234285	238980	18845	19037	16499
4	D	विद्युत, गैस आपूर्ति	842	874	896	42213	42579	42610	1951	1920	1905
5	E	जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन	511	505	519	28683	29998	29937	1075	1076	1124
6	F	निर्माण	777	763	740	34514	27736	27708	1270	1183	1176
7	G	थोक व फुटकर व्यापार, मोटर वाहन सुधार	469	459	464	25057	23977	23955	1939	1812	1811
8	H	परिवहन संग्रहण	178	184	177	85689	85847	85195	3584	3513	3435
9	I	होटल व रेस्टोरेन्ट	418	417	353	17761	17767	17702	1194	1159	1073
10	J	सूचना एवं संचार	152	147	148	23879	22536	22496	1638	1437	1432
11	K	वित्त एवं बीमा कार्य	3190	3354	3390	70516	61685	61879	5798	5337	5442

12	L	स्थायी सम्पदा कार्य	4	4	4	296	248	248	4	4	4
13	M	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य	404	401	397	23735	24227	24145	1459	1432	1425
14	N	प्रशासनिक एवं सहयोगी सेवा कार्य	860	516	517	40919	30020	30017	9203	7636	7691
15	O	लोक प्रशासन एवं रक्षा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	1736	1803	1804	231678	247896	248732	37515	39040	39768
16	P	शिक्षा	8604	8882	9080	378555	375809	376201	108936	109051	110080
17	Q	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	882	888	910	123015	122642	122424	56411	55318	55433
18	R	कला व मनोरंजन	140	130	130	2153	1999	2062	178	169	166
19	S	अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी क्रियायें	60	38	36	10509	9293	9277	2279	2170	2141
20	T	निजी हाउस होल्ड कार्य	4	4	4	123	123	123	12	12	12
21	U	क्षेत्रीय संगठन एवं निकाय	12	13	13	950	969	961	191	188	180
		Total	21642	21625	21838	1408168	1391874	1396854	255846	253641	253170

B 14. राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन :–

बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिये विभाग द्वारा पाक्षिक पत्र "राजस्थान रोजगार संदेश" का प्रकाशन विगत 43 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है। महत्वपूर्ण रिक्तियों का सम्पूर्ण विवरण इसी पत्र में प्रकाशन होने पर प्रसार संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर ली जाती है। गत 03 वित्तीय वर्षों में राजस्थान रोज़गार संदेश की मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा बिक्री एवं विज्ञापन आय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	2018	2019	2020
1	मुद्रित प्रतियों की संख्या	1,41,810	1,48,980	75335
क्र.सं.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21
1	बिक्री एवं विज्ञापन से आय	12,23,497/–	3,89,697/–	270589/–(दिस.20)

B 15. रोज़गार विंग का कम्प्यूटरीकरण :–

रोजगार विग की वेबसाईट **http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in** है। उक्त वेबसाईट पर रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 के अतिरिक्त पंजीयन, रोजगार सहायता शिविरों की सूचनायें, पाक्षिक समाचार पत्र राजस्थान रोजगार संदेश आदि उपलब्ध हैं तथा इन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता हैं।

विभाग के वेबपोर्टल EEMS (Employemnt Exchange Management System) को भारत सरकार के वेबपोर्टल एन.सी.एस पोर्टल – www.ncs.gov.in से Integrate (एकरूप) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना) के तहत पात्र आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है । भत्ता स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है। तथा भत्ते की राशि आवेदक के एकल बचत खाते में ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाई जा रही है।

B 16. Financial Year 2020-21

Financial Progress of State Schemes

(Rs. In Lacs)

S.N.	Name of Scheme and Budget Head	BE	Expenditure up to the Month Dec. 2020
1	327– रोजगार मेला		
	2230–02–101–(01)–[00]	100.00	10.07
	2230–02–789–(01)–[00]	36.00	1.38
	2230–02–796–(01)–[00]	26.00	0.68
2	796– रोजगार कार्यालय भवन		
	4059–80–051–(26)–[00]	266.68	1.09
3	2733– मुख्यमंत्री युवा संबल योजना		
	2230–02–800–(09)–[01]	0.01	0.00
	2230–02–800–(11)–[01]	43619.46	28752.85
	2230–02–789–(08)–[01]	10200.01	5504.54
	2230–02–796–(08)–[01]	7800.01	4359.17
4	2507– मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना		
	2230–02–800–(10)–[01]	0.01	0.00
	2230–02–789–(06)–[01]	0.01	0.00
	2230–02–796–(06)–[01]	0.01	0.00
	योग	**62048.20**	**38629.78**

Financial Progress of Other than Schemes Budget Head

1	2230– श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 02– रोजगार सेवाएं 001– निदेशन तथा प्रशासन (01)– निदेशालय [01]– संस्थापन व्यय–प्रतिबद्ध	529.31	356.40
2	2230– श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 02– रोजगार सेवाएं 101– रोजगार सेवाएं (05)– रोजगार कार्यालय [01]–संस्थापन व्यय –प्रतिबद्ध	1479.30	1075.55
3	2230– श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 02– रोजगार सेवाएं 800– अन्य व्यय (01)– रोजगार समाचार का मुद्रण एवं प्रकाशन [00]– रोजगार समाचार का मुद्रण एवं प्रकाशन	8.00	1.66
	योग	**2016.61**	**1433.61**

Financial Progress in Central Assistance Scheme

S. N.	Name of Scheme & Budget Head	BE (Including Add. San. as per F.D (Exp.V) ID No. 331900766 Dated 31.12.2020)	Expenditure up to the Month Dec. 2020
1	**2531- NCS Project**		
	4059–80–051–(26)–[00]	0.01	0.00
	2230–02–101–(06)–[01]	113.36	11.32
	2230–02–789–(07)–[01]	0.03	0.00
	2230–02–796–(07)–[01]	0.03	0.00
	योग	**113.43**	**11.32**

Financial Progress of State Schemes
Financial Year 2018-19, 2019-20, 2020-21

(Rs. In Lacs)

State Fund

S. N.	Name of scheme and Budget Head	F.Y. 2018-19		F.Y. 2019-20		F.Y. 2020-21	
		RE	Expenditure up to the Month Dec. 2018	RE	Expenditure up to the Month Dec. 2019	BE	Expenditure up to the Month Dec. 2020
1	327– रोजगार मेला						
	2230-02-101-(01)-[00]	179.00	86.46	65.00	39.65	100.00	10.07
	2230-02-789-(01)-[00]	22.00	19.36	25.00	14.02	36.00	1.38
	2230-02-796-(01)-[00]	6.00	4.38	10.00	6.68	26.00	0.68
2	796– रोजगार कार्यालय भवन 4059-80-051-(26)-[00]	7.79	3.30	10.66	0.06	266.68	1.09
3	2733–मुख्यमंत्री युवा संबल योजना						

	2230-02-800-(09)-[01]	4855.00	1700.80	26707.00	14168.35	0.01	0.00
	2230-02-789-(05)-[01]	1100.00	298.86	5100.00	2644.80	0.00	0.00
	2230-02-796-(05)-[01]	850.00	231.69	3800.00	1895.90	0.00	0.00
	2230-02-800-(11)-[01]	0.00	0.00	0.00	0.00	43619.46	28752.85
	2230-02-789-(08)-[01]	0.00	0.00	0.00	0.00	10200.01	5504.54
	2230-02-796-(08)-[01]	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.01	4359.17
4	2607– मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना						
	2230-02-800-(10)-[01]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	2230-02-789-(06)-[01]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	2230-02-796-(06)-[01]	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	योग	**7019.82**	**2344.85**	**35717.66**	**18769.46**	**62048.20**	**38629.78**

Financial Progress of Other than Schemes Budget Head

Financial Year 2018-19, 2019-20, 2020-21

State Fund **(Rs. In Lacs)**

S. N.	Name of scheme and Budget Head	F.Y. 2018-19		F.Y. 2019-20		F.Y. 2020-21	
		RE	Expenditure up to the Month Dec. 2018	RE	Expenditure up to the Month Dec. 2019	BE	Expenditure up to the Month Dec. 2020
1	2230– श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 02– रोजगार सेवाएं 001– निदेशन तथा प्रशासन (01)– निदेशालय [01] – संस्थापन व्यय–प्रतिबद्ध	513.31	380.27	502.96	347.75	529.31	356.40
2	2230– श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 02– रोजगार सेवाएं 101– रोजगार सेवाएं (05)– रोजगार कार्यालय [01] – संस्थापन व्यय–प्रतिबद्ध	1642.74	1189.90	1444.47	1047.82	1479.30	1075.55
3	2230– श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 02– रोजगार सेवाएं 800– अन्य व्यय (01)– रोजगार समाचार का मुद्रण एवं प्रकाशन [00] – रोजगार समाचार का मुद्रण एवं प्रकाशन	8.80	5.27	8.00	5.15	8.00	1.66
	योग	**2164.85**	**1575.44**	**1955.43**	**1400.72**	**2016.61**	**1433.61**

B 17. रोजगार सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की स्थिति :–

डी.पी.सी. / पदोन्नति

1	संयुक्त निदेशक संवर्ग की डी.पी.सी. वर्ष 2009–10 से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	उप निदेशक संवर्ग की दिनांक 01.04.2003 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	सहायक निदेशक संवर्ग की दिनांक 01.04.2003 की स्थिति के अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी कर दी गयी है। अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	जिला रोजगार अधिकारी संवर्ग की दिनांक 01.04.2003 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की डी.पी.सी वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की कार्यवाही में कोई भी कार्मिक योग्य नहीं पाया गया, जिसके कारण प्रशासिनक अधिकारी के स्वीकृत दोनो पद रिक्त रहे।
6	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की डी.पी.सी. वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।
7	सहायक प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की डी.पी.सी. वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।
8	वरिष्ठ सहायक संवर्ग की डी.पी.सी. वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।
9	कनिष्ठ सहायक संवर्ग की डी.पी.सी. वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।

B 18. रोजगार विंग में दिनांक 31.12.2020 को स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

S.No	Name of post	Status of Post as on 31-12-2020		
		Sanctioned	Filled up	Vacant
1.	आयुक्त / निदेशक	1	0	1
2.	संयुक्त निदेशक	1	0	1
3.	उप निदेशक	2	0	2
4.	एनेलिस्ट कम प्रोग्रामर	1	0	1
5.	सहायक निदेशक	13	3	10
6.	जिला रोजगार अधिकारी	44	26	18
7.	लेखाधिकारी	1	0	1
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	0
9.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	0
10.	प्रोग्रामर	1	1	0
11.	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	19	2	17
12.	क.लेखाकार	4	3	1
13.	निजी सहायक	1	1	0
14.	प्रशासनिक अधिकारी	2	0	2
15.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	11	8	3
16.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	38	26	12
17.	वरिष्ठ सहायक	72	57	15
18.	कनिष्ठ सहायक	109	71	38
19.	वरिष्ठ कलाकार	1	1	0
20.	कलाकार	1	1	0
21.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0
22.	संगणक	1	1	0
23.	प्रूफ रीडर	1	0	1
24.	अनुदेशक	2	0	2
25.	सूचना सहायक	65	51	14
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	72	35	37
27.	वाहन चालक	8	7	1
	Total	**474**	**297**	**177**

C

राजस्थान कौशल

एवं

आजीविका विकास निगम

C.1 प्रस्तावना :–

राजस्थान सरकार द्वारा सितम्बर 2004 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में "राजस्थान आजीविका मिशन"(RMOL) का गठन किया गया। मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को लाभदायक एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर एवं दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान कराना एवं गरीब तथा कमजोर वर्ग के युवाओं के आजीविका प्रोत्साहन हेतु उचित एवं अभिनव प्रयोग करना एवं नीति निर्धारण करना था। वर्ष 2009 में बजट घोषणा के अनुसार मिशन के नाम में 'कौशल' शब्द जोड़कर इसे राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया। इस मिशन को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु इसे दिनांक 17.08.2010 को कंपनी अधिनियम की धारा 25 में पंजीकृत करा दिया गया। बजट घोषणा वर्ष 2011–12 के अनुसरण में राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन को मई 2012 में परिवर्तित कर "राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम" बनाया गया।

प्रदेश के युवाओं को आजीविका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध हो सके इस बाबत आरमोल (RMoL) को केबिनेट आज्ञा संख्या 16/2014 दिनांक 28.01.2014 के द्वारा पुनर्जीवित किया जाकर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को इसका अध्यक्ष एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष को मिशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौशल योजनाओं का समामेलन (Convergence) हुआ और प्रदेश के युवा लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान आजीविका मिशन (RMoL) नीति निर्धारक संस्था है तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम क्रियान्वयन विंग है।

C. 2 नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति :–

राज्य सरकार की अधिसूचना 30(4)श्र.नि./15 दिनांक 04.08.2015 के अनुसार राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/ अभियानों/ मिशनों/ अधिनियमों व नियमों का क्रियान्वयन–नियोजन विभाग, तकनीकि शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग तथा राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। बजट घोषणा सत्र 2015–16 के पैरा संख्या 143 में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन में आदेश संख्या 107/2015, दिनांक 23/05/2015 के द्वारा राज्य मंत्रीमण्डल ने कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिए "Department of Skills, Employment and Entrepreneuship", (कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) का गठन करने का अनुमोदन किया।

तद्नुसार "कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" की स्थापना महामहिम राज्यपाल की ओर से एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अनुसार कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता के संबंध में विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति स्वतंत्र रूप से है, जिसके विभागाध्यक्ष, आयुक्त, नियोजन एवं उद्यमिता हैं तथा श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विभागीय प्रशासनिक सचिव हैं। इस आयुक्तालय का मुख्यालय, जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कौशल भवन परिसर में हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कार्यालय का 31.12.2020 को प्रशासनिक स्वरुप निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	प्रबन्ध निदेशक	1	1	0
2.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
3.	महाप्रबन्धक	3	1	2
4.	उप महाप्रबन्धक	3	3	0
5.	प्रबन्धक	8	4	4
6.	लेखाधिकारी	1	0	1
7.	सहायक प्रबन्धक	8	3	5
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	2	1
9.	जनसम्पर्क अधिकारी	1	0	1
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
11.	निजी सहायक	3	1	2
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2	0	2
13.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
14.	सूचना सहायक	12	5	7
15.	क्लर्क ग्रेड (प्रथम)	4	0	4
16.	ड्राईवर	3	2	1
17.	ऑफिस बॉय	6	0	6
	कुल	**61**	**24**	**37**

C. 3 निगम के उद्देश्य :–

- प्रदेश के युवाओ मे कार्य से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका व रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना ।
- प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहाँ कुशल मानव संसाधन अनुपलब्ध/ अपर्याप्त है उन क्षेत्रों मे कुशल मानव संसाधन उपलब्धता हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करवाया जाकर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना।
- प्रदेश में आजीविका एवं कौशल विकास हेतु नीति निर्माण का कार्य करना व कौशल विकास कार्यक्रमों की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
- प्रदेश के गरीब, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछडे वर्ग के युवाओं के कौशल विकास तथा आजीविका सृजन हेतु विशेष योजनाऐं तैयार कर लागू करना।
- प्रदेश में राजकीय एवं निजी ऐजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करवायी जाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
- प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के प्रति आकर्षित करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।
- राजकीय एवं निजी ऐजेन्सियों के सहयोग से कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना कर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक कौशल स्तर में कमी (स्किल गैप) का आंकलन कर उनके विकास/पूर्ति की योजना बनाकर निजी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त करना।
- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी को निजी कम्पनियों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

C. 4 योजनाऐं :–

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निम्न कौशल प्रशिक्षण योजनायें क्रियान्वित की जा रही है–

1. **रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)**:- इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ किया गया।

दिनांक 20.06.2017 से उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (MSDE) द्वारा जारी "Common norms" के अन्तर्गत पूर्णतः आरम्भ कर दिया गया है, ताकि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ब्रांडिंग, मूल्यांकन एवं प्रमाणन में एकरूपता आये। इस योजनान्तर्गत संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के अन्तर्गत संरेखित है, जिसमें प्रशिक्षण उपरान्त 70% युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2. **नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)** :– वर्ष 2005–06 से संचालित लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2013–14 तक राज्य में स्थापित KVK, DCTC, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे थे। वर्ष 2013–14 में योजना को विस्तार देने हेतु महिलाओं, युवाओं, विशेष योग्यजनों एवं जेल बंदियों के स्वरोजगार एवं कौशल विकास हेतु तीन योजनायें लागू की गई तथा वर्ष 2015–16 में तीनों योजनाओं को एकीकृत कर चयनित ट्रस्ट, कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थाओं और निगम की सूचीबद्ध सस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 वीं पास अथवा अधिक योग्यता के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर से जोड़ा जाता है। महिलाओं के लिये आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु आयु सीमा 15 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है तथा "विशेष योग्यजन युवाओं" हेतु आयु सीमा 15 से 50 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 5 वी पास निर्धारित है। इसी

क्रम में पाक विस्थापितों जिनके पास लॉंग टर्म वीज़ा (LTV) है, के कौशल प्रशिक्षण हेतु इस योजना में विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत 31 क्षेत्रों में कुल 127 कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं। इस योजना को संशोधित कर इसके अन्तर्गत उद्यमिता विकास आधारित आजीविका विकास कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर के प्रशिक्षण एवं एम्प्लोयाबिलिटी के लिये छूट देते हुए इस योजना में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

3. **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)** :– योजना का शुभारंभ दिनांक 7 नवम्बर, 2019 को माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) एवं माननीय राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

इस योजना का उददेश्य राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के नियमित विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल को विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाना है ताकि अपने अध्ययन के उपरान्त ये प्राप्त कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वंय का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। उक्त योजना आरएसएलडीसी एवं कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में निगम द्वारा 117 राजकीय महाविद्यालयों में 106 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा 8426 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के प्रारंभिक वर्ष में 6000 युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु 17 से 30 वर्ष है।

4. राज्य पोषित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का पुनर्गठनः

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य पोषित योजनाओं क्रमशः ELSTP एवं RSTP का पुनर्गठन किया जा रहा है एवं उनके स्थान पर निम्नलिखित योजनाओं का निमार्ण किया जा रहा है।

1. **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK)**:– बाजार की मांग के अनुरुप बेरोजगार युवाओं को संबंधित क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसी योजना के अन्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों में रोजगार की मांग व उपलब्धता में महती भूमिका निभाने वाले औधोगिक उपक्रमों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीधे सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया एवं RTD मॉडल अपनाए जाते हुए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2. **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम – SAKSHM)** :– स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोडते हुए राज्य के युवाओं व महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाते हुए राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को स्थापित करना।
3. **समर्थः**– राज्य के अत्यन्त निर्धनतम/हाशिये पर मौजूद समुदायों/वर्गों यथा सीमांत निर्धन, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलित आदिवासी वर्ग, नारी निकेतन, बालगृह, कारागार बन्दियों को रोजगार/ स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोडते हुए आत्मनिर्भर बनाना।

5. **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)** :- भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार निगम द्वारा जुलाई 2014 से किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा अनुमोदित तथा 40 % राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 15 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवक / युवतियों जो बीपीएल हो अथवा नरेगा मे गत वित्तीय वर्ष मे कार्य करने वाले परिवारो के सदस्य हो अथवा ऐसे ग्रामीण निर्धन युवक जिनका चयन विशेष ग्राम सभाओ के तहत DDU-GKY योजनांतर्गत प्रशिक्षण हेतु किया गया है, प्रशिक्षण के पात्र होते है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं का मनोनयन किया जाकर उनसे प्रशिक्षण व नियोजन कराया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा कार्य योजना 2016–19 के तहत दिसम्बर 2020 तक 66,244 ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कर उनका कौशल उन्नयन किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगम को 2019–22 कार्य योजना के तहत 72,800 ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है तथा 2019–22 कार्य योजना के लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है।

निगम द्वारा यह अपेक्षित है कि कार्य योजना 2019–22 की समाप्ति तक लगभग 72,800 ग्रामीण युवाओं का चयनित संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण द्वारा कौशल उन्नयन किया जा सकेगा। इससे राजस्थान राज्य के और अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

6. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (PMKVY) (केन्द्रीय प्रायोजित राज्य प्रबन्धित CSSM):–** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (MSDE) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016–20) के द्वितीय चरण के लिए निर्धारित Fund में से 25% Fund का प्रावधान राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान को आवंटित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति RSLDC द्वारा की जा रही है। "योजनान्तर्गत 2016-2020 में लगभग 41000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 70.96 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। पीएमकेवीवाई 2.0 योजना का समापन 31.03.2020 को होना था पर कोविड–19 के लॉकडाउन के कारण प्रशिक्षण 17.03.2020

(2019–20) को स्थगित किया गया था जिन्हें 21.09.2020 से पुनः प्रारम्भ किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

वर्तमान वितीय वर्ष 2020–21 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार के द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को पीएमकेवीवाई 3.0 के प्रथम चरण में कुल 4022 प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया है। तथापि एमएसडीई से अभी बजट विवरण के साथ अनुमोदन के आदेश का इंतजार है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत आरएसएलडीसी को आरपीएल के लिए 6600 प्रशिक्षणर्थियों का लक्ष्य आंवटित किया गया है।

इस क्रम में निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को स्वीकृति पत्र निम्नानुसार दिये जा चुके हैं। 27 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को 25 जिलों में 4020 युवाओं का प्रशिक्षण लक्ष्य लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (STT) के तहत् दिया गया है।

7. Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, गुणवत्तायुक्त–प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तथा सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण हेतु Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) परियोजना प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना समाज के सभी वर्गों हेतु संचालित की जा रही है।

SANKALP परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित 6 वर्षों के लिए एक परिणाम उन्मुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत बजट राशि का 60 प्रतिशत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

यह कार्यक्रम कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं बाजार की प्रासंगिकता में सुधार तथा महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों के प्रतिशत में भी वृद्धि करेगा। आरएसएलडीसी द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता, प्लेसमेंट

पार्टनर्स और सर्विस सेंटर आदि के द्वारा राज्य में लागू किया जायेगा। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य में विकसित स्किलिंग इकोसिस्टम एवं बुनियादी ढांचा है, अतः SANKALP परियोजना के अनुदान को आरएसएलडीसी द्वारा जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में व्यय किया जायेगा।

8. **विशेष योजनाऐं** :– निगम द्वारा औद्योगिक संस्थानों को Flexi MoU के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आमंत्रित किया गया है जिसमें युवाओं के लाभ तथा उद्योगों की मांग के अनुरूप कोर्स का निर्माण किया जा सकता है। इस विशेष योजना के अंतर्गत आरएसएलडीसी द्वारा सभी 33 जिलों में एक राजकीय आईटीआई को BOSCH द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

9. **कन्वर्जेस (Convergence):**–कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता, केन्द्रीकृत सूचना तंत्र तैयार करने, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं दौहरीकरण (Duplicacy) रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जाने वाले लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के माध्यम से किया जाये।

इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त विभागों द्वारा संचालित लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना (ELSTP) के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु समामेलन (Convergence) का आदेश दिनांक 07/11/2014 को जारी किया गया है। कौशल प्रशिक्षण पश्चात स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP) के तहत कन्वर्जेस आदेश दिनांक 17/09/2015 को जारी किया गया है।

कन्वर्जेस आदेशों के अनुसरण में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एससीएसटी निगम), स्वायत्त शासन विभाग (एनयूएलएम),

ग्रामीण विकास विभाग (बीएडीपी), राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद (आरआरएलपी), जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडीडी), श्रम विभाग (बीओसीडब्लयू), अल्पसंख्यक विभाग, वन विभाग (वन–धन), महिला अधिकारिता विभाग एवं जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (WSSO) कुल दस विभागों की लघु अवधि प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन निगम के माध्यम से किया गया/ किया जा रहा है।

उक्त विभागों से राशि 119.16 करोड रूपये निगम को कौशल प्रशिक्षण हेतु अग्रिम तौर पर प्राप्त हुई है। माह मार्च, 2020 तक 69694 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया है। व्यय राशि रूपये 100.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर दिये गये हैं।

आरएसएएलडीसी द्वारा संचालित अभिसरण (कन्वरजेंस स्कीम) पहल के निम्नलिखित लाभ मिले हैं :–

- मोबीलाइजेशन में सुगमता
- व्यापक आईईसी गतिविधियां
- दौहरीकरण (Duplicacy) रोकना
- कार्यक्रम क्रियान्वयन में एकरूपता
- प्रभावी निगरानी तंत्र
- केन्द्रीकृत डाटा बेस
- योग्यता के क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों का विभिन्न प्रकार से बेहतर मिलान
- कौशल प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का अनुकूलतम उपयोग।

C. 5 कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र :–

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रमुखतः निम्न क्षेत्रों/सेक्टरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं–

क्र.स.	क्षेत्र/सेक्टर	क्र.स.	क्षेत्र/सेक्टर
1	कूरियर एवं लॉजिस्टिक्स	19	पर्यटन और आतिथ्य
2	उपकरण स्वचालन निगरानी और संचार	20	स्वास्थ्य देखभाल

3	फूड प्रोसेसर एवं प्रिजर्वेशन	21	वस्त्र एवं परिधान
4	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रीकल	22	प्रबन्धन एवं उद्यमिता
5	मीडिया एण्ड एन्टरटेनमेन्ट	23	जेम्स एवं ज्वैलरी
6	जीवन विज्ञान क्षेत्र	24	माईनिंग
7	ब्यूटी कल्चर व केश सज्जा	25	टेलिकॉम
8	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	26	घरेलू कामगार
9	ऑटोमोटिव रिपेयर	27	सुरक्षा गार्ड
10	फुटकर / खुदरा	28	हैन्डीक्राफ्ट
11	ग्रीन जॉब्स्	29	कृषि
12	प्लम्बिंग	30	श्रबर
13	पावर	31	केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल
14	एरोस्पेस एवं एविऐशन	32	कन्सट्रक्शन
15	BFSI	33	अर्थ मूविंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर
16	कैपिटल गुड्स	34	आयरन एवं स्टील
17	पिपल विद डिसेबिलिटि हेतु विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	35	वुड्स एण्ड पेन्टस
18	लैदर	36	स्पोर्टस

प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों प्रकार के होते हैं। कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

C. 6 निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2020 तक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का विवरण निम्न है :–

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020)
रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	3868
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	481
नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	2540
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1475
कुल योग	**8364**

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020)
कन्वर्जेंस योजना	889

नोटः– कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 17 मार्च, 2020 से सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिये गये थे जिन्हें 21 सितम्बर, 2020 से पुनः आरम्भ किया गया है।

C.7 आरएसएलडीसी को देश का सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य पुरस्कार :–

आरएसएलडीसी को कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए एसौचेम द्वारा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्किलिंग इंडिया समिट (पुरस्कार वितरण समारोह) 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्रॉफी एवं वर्ष 2017–18 में डायमण्ड ट्रॉफी प्रदान की गयी। उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कॉच द्वारा वर्ष 2017–18 व 2018–19 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में निगम को दो प्लेटिनम अवार्ड एवं वर्ष 2017–18 व 2019–20 में दो रजत अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

C.8 कौशल राजस्थान लक्ष्य हेतु प्रमुख अभिनव योजनाएं/कार्य :–

1) **नियुक्ति–प्रशिक्षण–नियोजन (RTD)** प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के इच्छुक नियोक्ता/उद्योग सर्वप्रथम आशार्थियों को अनंतिम भर्ती देने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित कर नियोजन सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत आरएसएलडीसी द्वारा Jewellers Association के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।
2) **प्रत्यक्ष मनोनयन प्रक्रिया (Direct Empanelment Process)**: वृहद नेटवर्किंग, कैप्टिव प्लेसमेंट एवं कौशल की बढ़ी हुई गुणवत्ता हेतु बड़े उद्योगों एवं संघो के साथ डायरेक्ट एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया लागू की जा रही है। FORTI, Rajasthan के साथ इस क्रम में आरएसएलडसीसी द्वारा MoU हस्ताक्षरित किया गया है।
3) **जेल कैदियों, किशोरों एवं दिव्यागंजनों हेतु प्रशिक्षण** : RSLDC द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के अर्न्तगत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से जयपुर केन्द्रीय कारागृह, भीलवाड़ा जेल, बालिका सुधार गृह के कैदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण स्वरोजगार के क्षेत्र यथा हाउसकीपिंग, होटल एवं

रेस्टोरेन्ट, बी.पी.ओ. सेक्टर, टेलरिंग, हैन्डीक्राफ्ट, मे प्रदान किया जा रहा है। निगम का प्रयास है कि राज्य के सभी जिला कारागारो मे जेल बंदियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

4) **पारम्परिक कला एवं विरासत कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना** : पारम्परिक कला एवं विरासत को बढ़ाना देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना राजस्थान के हैण्डीक्राट्स तथा अन्य समान कौशलों के विकास के लिये आरएसएलडीसी द्वारा योजना आरम्भ की गई है।

5) **विश्व युवा कौशल दिवस** : युवा कौशल विकास की महती भूमिका के प्रति जनमानस में जागरुकता बढाने के उद्देश्य से आरएसएलडीसी द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2020 को छठवां विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वर्चुअल प्लेटफार्म पर किया गया। कार्यक्रम में सभी सम्भागीय आयुक्त एवं सभी जिला कलेक्टर उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में 12 स्किल आईकॉन एवं एक स्किल एम्बैसेडर को सम्मानित किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के आयोजन में युवाओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं, रोजगार प्रदाताओं एवं जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रही।

6) **स्किल आइकॉन ऑफ दी मंथ (Skill Icon of The Month)** : प्रशिक्षणार्थियों में कौशल प्रशिक्षणों के प्रति रुझान बढाने के उद्देश्य से स्किल आईकॉन ऑफ दी मंथ की शुरुआत की गई। जुलाई, 2020 तक 64 प्रशिक्षित एवं रोजगारयुक्त युवाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत रु. 11,000 की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान एवं नियोजकों को भी सम्मानित किया जाता है।

7) **स्किल कैलेण्डर** : स्किल कैलेण्डर राज्य में आगामी महिनों के प्रशिक्षण कायर्क्रमों की एक अनुमानित विस्तृत समय सारिणी है। इच्छुक युवा/युवतियां इस सारिणी में जिला, माह, कोर्स एवं सेक्टर के विकल्पों का चयन करते हुए अपने रुचि के प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं।

8) **जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति** : राज्य के समस्त जिलों में जिला कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसरण में किया गया है। समिति की नियमित बैठक आयोजित की जाती है जिसमें जिला स्तर पर कौशल विकास केन्द्रों की प्रगति एवं भावी योजनाओं पर चर्चा की जाती है। 1 अप्रैल 2019 के उपरांत 91 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

9) **कॉमन लाइवलीहुड वैब पोर्टल** : प्रदेश में आरएसएलडीसी, आई टी आई, रोजगार सेवा तथा उद्यमिता आदि साझेदारों द्वारा चलाये जा रहे कौशल संबंधित कार्यक्रम को एकीकृत करने के उद्देश्य से आरएसएलडीसी द्वारा 01 जुलाई 2016 को कॉमन लाईवलीहुड वैबपोर्टल लाइव किया गया है।

10) **एकीकृत योजना प्रबन्धन प्रणाली (Integrated Scheme Management System - ISMS)** निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाये जाने के उद्देश्य से निगम में एकीकृत योजना प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। निगम में अभिव्यक्ति की रूचि से लेकर भुगतान तक सभी कार्य ऑनलाइन किये जा रहे हैं। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा एक नवीन एम.आई.एस. प्रणाली 01 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गयी। इस पोर्टल का उद्देश्य निगम के साथ जुडे हुये विभिन्न हितधारकों यथा आर.एस.एल.डी.सी. प्रबन्धन, राज्य के साथ कनवर्जेंस योजना के तहत जुडे विभिन्न विभाग, प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाऐं, कौशल विकास केन्द्र, प्रशिक्षणार्थी, राज्य एवं जिला कार्य दल, एसेसमेंट एजेन्सियां, रोजगार प्रदाता संस्थाऐं एवं इच्छुक युवा आदि को एक साथ लाना है।

ISMS की मुख्य उपलब्धियां, इस प्रकार हैं :–

- निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं (DDU-GKY, ELSTP, MMYKY, PMKVY एवं RSTP) को आई. एस. एम. एस. पोर्टल पर एकीकृत कर सभी योजनाओं के अंतर्गत अभिव्यक्ति की अभिरुचि (EoI) द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन से लेकर प्रशिक्षण एवं लाभार्थियों के प्लेसमेंट सूचना की पुष्टि उपरांत

प्रशिक्षणप्रदाताओं के भुगतान की ऑनलाइन (End to end computerization) सुविधा प्रदान करना।

- आई. पी. कैमरा द्वारा राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के Face Recognition प्रणाली द्वारा युवाओं की उपस्थिति को निगम के कैमरा मॉनिटरिंग सेल से जांचना, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाताओं को ऑनलाइन नोटिस जारी कर एवं निश्चित समय अवधि में जवाब तलब कर प्रशिक्षण गुणवत्ता को बनाये रखना है।
- प्रशिक्षणरत युवाओं की आधार पोर्टल द्वारा प्रमाणित रियल टाइम बायोमेट्रिक उपस्थिति को संधारित करना एवं पोर्टल पर उपलब्ध उपस्थिति के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं भुगतान गणना कर विभिन्न रिपोर्ट्स प्रदान करना।
- निगम मोबाईल ऐप के माध्यम से आशार्थियों का पंजीयन, कौशल विकास केन्द्रों की Geo-tagged निरीक्षण सुविधा, संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों सूची मय संपर्क विवरण, भौतिक स्थान की जानकारी तथा संचालित सभी योजनाओं की वास्तविक प्रगति इत्यादि प्रदान करना।
- आई.एस.एम.एस. पोर्टल एवं आरपीपी पोर्टल के एकीकरण से प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न भुगतान (EMD, PSD, बैच रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि) को प्राप्त कर भुगतान की रसीद उपलब्ध कराना। विभिन्न भुगतान निगम के आई. एस. एम. एस. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।
- आई. एस. एम. एस. पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में निगम के प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किये जा रहे हैं।
- आई.एस. एम. एस. पोर्टल का केंद्र सरकार के SDMS NexGen पोर्टल के एकीकरण कर प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन व्यवस्था को ऑनलाइन कर सुचारु करना।

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं रोजगार की स्थिति को देखने हेतु प्रशिक्षणार्थीवार सूचना उपलब्ध करवाना।
- पोर्टल का लाइव डैशबोर्ड एवं डैशबोर्ड के माध्यम से वर्तमान में चल रहे योजनावार प्रशिक्षण केंद्रों की सूची, बैचों की सूची, प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों की सूची, प्रशिक्षणार्थियों की दैनिक उपस्थिति, प्रशिक्षण प्रदाताओं को किये जा रहे भुगतान की स्थिति एवं कौशल केन्द्रों तथा बैचों की ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान करना।
- योजनाओं के अंतर्गत कौशल केंद्रों की निगरानी एवं निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये विभिन्न ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट्स की उपलब्धता।

11) **प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापनाः** प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय "राजस्थान आईएलडी कौशल, विश्वविद्यालय जयपुर" की स्थापना अधिनियम 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 6) के अन्तर्गत जयपुर में की गयी है।

12) **निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना :** इसी क्रम में उच्चतर कौशल में युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुलभ कराने के लिए निजी क्षेत्र में "भारतीय स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी" की स्थापना मार्च, 2017 में की गयी है।

13) **ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ :**

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तत्वाधान में "ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ" का गठन किया गया हैं। उपरोक्त प्रकोष्ठ की मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं :–

- इच्छुक श्रमिकों को विदेश में नौकरी के अवसर सम्बन्धित सूचना, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना।
- विदेश में कार्यरत राजस्थान मूल के प्रवासी श्रमिकों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास एवं जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावी एवं सार्थक प्रयास किया जाना।
- जागरूकता शिविरों के माध्यम से सम्भावित प्रवासी श्रमिकों को कानूनी एवं सुरक्षित रूप से विदेश में नौकरी प्राप्त किये जाने हेतु उपलब्ध उपयोगी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना।

- विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के हित में प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाना।
- पूर्व प्रस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम
- राज्य के दक्ष युवाओं को प्लेसमेन्ट सहायता

राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारजन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय दूतावास सऊदी अरब, यू.ए.ई. कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से सार्थक प्रयास किये गये हैं। विदेश में राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों के निधन होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को सम्बन्धित भारतीय दूतावास के सहयोग से भारत लाए जाने का प्रयास किया गया। प्रकोष्ठ प्रवासी श्रमिकों के हित में निरन्तर प्रयासरत् हैं।

राजस्थान मूल के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों के स्वदेश आगमन पर उद्यम स्थापित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ऋण एवं ब्याज अनुदान प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। (Reference State Government Notification dated 13.12.2019 and Subsequent amendment dated 31.08.2020)

ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो (राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम) द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से निम्न कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किये गये:–

- Two Days Workshop of Training of Master Trainers on PDOT (Pre-Departure Orientation Training) jointly organized by MEA, New Delhi and RSLDC on 23rd & 24th December, 2019 at RSLDC Conference Hall, Jaipur.
- RSLDC as empanelled IISC Network member with NSDC – April 6th 2020. India International Skill Centre has announced Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation- Jaipur as emapanelled network member, to give support to youth of Rajasthan & to ease the recruitment process for foreign placements.
- MoU with India Trade and Exhibition Centre m.e Sharjah to facilitate placement for youth of Rajasthan in GCC countries- Rajasthan Skill and Livlihoods Development Corporation has signed a MoU with India

Trade and Exhibition Centre m.e Sharjah on December 4th 2020, to facilitate placement opportunities for the youth of Rajasthan in GCC.

प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश कार्यक्रम

राजस्थान से काफी संख्या से रोजगार हेतु कामगार विशेष रूप से खाड़ी देशों में प्रति वर्ष प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश कार्यक्रम के माध्यम से सभी चयनित कामगारों (ईसीआर पासपोर्ट धारक) को प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है। प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश (पीडीओ) का उद्देश्य गंतव्य देश के प्रवासी रोजगार और सम्बन्धित नियम, श्रम कानून, भाषा, रीति–रिवाज एवं संस्कृति, रहन–सहन के तरीके एवं अधिकार और जिम्मेदारियां सम्बन्धित उपयोगी जानकारी प्रदान किया जाना है।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम को राज्य में जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, नागौर एवं चूरू जिलों में प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर भारतवर्ष में प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रथम अधिकृत संस्था के रूप में कार्यरत है। पीडीओटी सेन्टर, जयपुर, सीकर एवं नागौर में क्रमशः दिनांक 12.04.2019, 08.08.2019 एवं 27.11.2019 से कार्यरत हैं। उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से माह मार्च 2020 तक प्रशिक्षित श्रमिकों का प्रगति विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.	Location of PDOT Centre	No. of Batches	No. of candidates trained
1	RSLDC Campus, Jaipur	110	1865
2	Govt. ITI Campus, Sikar	52	1043
3	Govt. ITI Campus, Nagaur	07	117
	Total	**169**	**3025**

14) विशेष ग्राम सभाएं :

निगम द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से राज्य की ग्राम पंचायतों में "विशेष ग्राम सभाओं" का आयोजन किया जाता है। विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 2014 एवं 2015 में भी किया जा चुका है। तृतीय ग्राम सभा का आयोजन 20 दिसम्बर 2016 को किया गया जिसके अन्तर्गत 1,41,000 से अधिक युवाओं का निगम के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करने हेतु चयन किया गया। गत तीन विशेष ग्राम सभाओं में कुल 3,82,000 से अधिक युवाओं का कौशल प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है।

15) विभाग की भावी योजनाऐं

- **भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का प्रशिक्षण:** भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के पुनर्वास हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जयपुर में विशेष लक्षित कार्यक्रम एक अनूठी पहल के रुप में शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है।
- **ट्रांसजेण्डर का प्रशिक्षण** :– निगम द्वारा पूर्व में पायलट स्तर पर ट्रांसजेण्डर समुदाय को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसे अब व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।
- **सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण** :– राज्य के सफाई कर्मियों के परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिये विशेष लक्षित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
- एचपीसीएल के सहयोग से स्थानीय आबादी को लाभान्वित करने के लिये रिफाईनरी एवं पेट्रोकेमिकल संबन्धित पाठयक्रमों के लिये जोधपुर एवं बालोतरा आईटीआई केन्द्रों पर प्रशिक्षण आरम्भ किये जा रहे हैं।
- **प्रवासना सहायता केन्द्र (Migration Support Center):** निगम द्वारा प्रारंभिक चरण में 90 दिनों के लिये प्रशिक्षित युवाओं हेतु गंतव्य स्थान पर नौकरी प्राप्त करने के दौरान निःशुल्क आवासीय सेवाओं की योजना तैयार की जा रही है।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) तथा आरएसएलडीसी के** संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल सम्पन्न हितग्राही (PM-DAKSH) कौशल योजना को पिछड़े वर्गों के लिये आरपीएल, लघु अवधि व दीर्घ अवधि के कौशल विकास कार्यक्रम शीघ्र आरम्भ किये जा रहे हैं।

- आरएसएलडीसी **तथा** वाटर सेनीटेशन सपोर्ट ओर्गेनाईजेशन (WSSO) एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के प्राथमिकता वाले जिलों में 45 हजार युवाओं को ग्रामीण स्तर पर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के प्रशिक्षण शीघ्र आरम्भ किये जा रहे हैं ।

16) **अन्य नवाचारों हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

i. **आईटीसीई (एम.ई) दुबई के साथ एमओयु** जिसके अन्तर्गत 1 हजार युवाओं को विदेश में मांग आधारित नौकरी हेतु प्रशिक्षण।

ii. **नीसबड (NIESBUD) के साथ एमओयू** जिनके द्वारा विभिन्न जिलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

iii. **फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एवं इंडस्ट्री (FORTI) के साथ एमओयू** जिसके अंतर्गत डायरेक्ट एम्पेनलमेंट के तहत बड़े उद्योगों, उद्योग संघों एवं विश्वविद्यालयों की कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करना।

iv. **सीतापुरा जेम्स एण्ड ज्वैलरी उद्योग संघ (SGJIA) के साथ एमओयू** जिसके अंतर्गत रिक्रूट–ट्रेंड–डेप्लॉय मॉडल के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के इच्छुक नियोक्ता/उद्योग आशार्थियों को अनंतिम भर्ती देने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित कर नियोजन सुनिश्चित करेगें।

v. **टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउन्सिल के साथ एमओयू** जिसके अन्तर्गत इनके द्वारा टेलीकोम सेक्टर में बढती हुई मांग को देखते हुये युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

vi. **आईपीई ग्लोबल के साथ एमओयू** जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा मंजिल परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाये जाने हेतु 5 जिलों में मोबिलाईजेशन का कार्य किया जायेगा।

vii. **महिला अधिकारिता विभाग के साथ एमओयू** जिसके अर्न्तगत महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु डेडिकेटेड प्रशिक्षण बैच आरम्भ किये जायेंगे।

viii. **वाटर सेनीटेशन सपोर्ट ओर्गेनाईजेशन (WSSO) एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के साथ एमओयू** जिसके अर्न्तगत राज्य के प्राथमिकता वाले जिलों में 45 हजार युवाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ix. **आरकेसीएल के साथ एमओयू** जिसके अंतर्गत आरकेसीएल के द्वारा 300 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें सॉफ्ट स्किल, आईटी स्किल तथा सामान्य इंग्लिश के पाठ्यक्रम सम्मिलित होगें।

x. ईएमआई के साथ एमओयू जिसके अंतर्गत ईएमआई द्वारा 600 यूवाओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जायेगा।

17) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है:-

Funds Received Through Budgetary Allocation of Government of Rajasthan During the Financial Year 2019-20				
	Demand	Budget Estimate	RE	Actual
2401-00-800-(23)-[00]-28	Demand No. 37	274,757,000	68,687,000	68,687,000
2401-00-796-(57)-[00]-28	Demand No. 30	53,920,000	13,480,000	13,480,000
2401-00-789-(01)-[23]-28	Demand No. 51	71,320,000	17,830,000	17,830,000
4401-00-190-(01)-[01]-73		1,000	1,000	
4401-00-800-(02)-[04]-28		1,000	1,000	
4401-00-800-(02)-[06]-17		1,000	1,000	
Sub Total		**400,000,000**	**100,000,000**	**99,997,000**
2401-00-800-(23)-[00]-28 Under CSS		141,936,000	141,936,000	
Grand Total		**541,936,000**	**241,936,000**	**99,997,000**

RAJASTHAN SKILL AND LIVELIHOODS DEVELOPMENT CORPORATION								
Budget Statement 2020-21								
	योजना	Demand	Budget Estimate		Additional Allocation		Total	
			State Component	Central Component	State Component	Central Component	State Component	Central Component
2230-02-190-(01)-[01]-12 (P)	राज्य योजना ओं हेतु	Demand No. 23	1,000				1,000	0
2230-02-190-(01)-[01]-28 (P)		Demand No. 23	103,032,000				103,032,000	0
2230-02-190-(01)-[02]-12 (P)		Demand No. 30	1,000				1,000	0
2230-02-190-(01)-[02]-28 (P)		Demand No. 30	20,220,000				20,220,000	0
2230-02-190-(01)-[03]-12 (P)		Demand No. 51	1,000				1,000	0

2230-02-190-(01)-[03]-28 (P)		Demand No. 51	26,745,000				26,745,000	0
Sub -Total			**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**150,000,000**	**0**
Total			**150,000,000**		**0**		**150,000,000**	
2230-02-190-(02)-[01]-12 (P)	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)	Demand No. 23		1,000			0	1,000
2230-02-190-(02)-[02]-12 (P)		Demand No. 30		1,000			0	1,000
2230-02-190-(02)-[03]-12 (P)		Demand No. 51		1,000			0	1,000
Sub -Total			**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000**
Total			**3,000**		**0**		**3,000**	
2230-02-190-(03)-[01]-12 (P)	संकल्प योजना	Demand No. 23	1,000	1,000	80,613,000	120,921,000	80,614,000	120,922,000
2230-02-190-(03)-[02]-12 (P)		Demand No. 30	1,000	1,000	9,268,000	13,902,000	9,269,000	13,903,000
2230-02-190-(03)-[03]-12 (P)		Demand No. 51	1,000	1,000	17,889,000	26,834,000	17,890,000	26,835,000
Sub -Total			**3,000**	**3,000**	**107,770,000**	**161,657,000**	**107,773,000**	**161,660,000**
Total			**6,000**		**269,427,000**		**269,433,000**	
Grand Total			**150,003,000**	**6,000**	**107,770,000**	**161,657,000**	**257,773,000**	**161,663,000**
			150,009,000		**269,427,000**		**419,436,000**	